Con. 3. X.2.49
320

अंक 10
संख्या 2

शुक्रवार
7 अक्तूबर
सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

	पृष्ठ
शपथ ग्रहण तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर	2667
संविधान का प्रारूप-(जारी)	
[अनुच्छेद 306, 309, नये अनुच्छेद 310-क, 310-ख, 311-क, 311-ख, अनुच्छेद 312, नये अनुच्छेद 312-क से 312-ङ, 312-छ, 312-ज और अनुच्छेद 313 पर विचार]	2667-2712

भारतीय संविधान सभा

शुक्रवार, 7 अक्तूबर, 1949

भारतीय संविधान-सभा कांस्टिट्यूशन हाल नई दिल्ली, में प्रातः 10 बजे अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई।

शपथ ग्रहण तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर

निम्नलिखित सदस्य ने शपथ ग्रहण की और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए:

श्री सामलदास लक्ष्मीदास गांधी (जूनागढ़)

संविधान का प्रारूप — (जारी)

अनुच्छेद 306

***अध्यक्ष:** अब हम अस्थायी उपबंधों संबंधी अनुच्छेदों पर विचार करेंगे। अनुच्छेद 306।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बई: जनरल): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अनुच्छेद 306 के खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) स्थान पर ये खण्ड रखे जाएं:

(a) trade and commerce within a State in, and the production, supply and distribution of, cotton and woollen textiles, raw cotton (including ginned cotton and unginned cotton or kapas) cotton seed, paper (including newsprint), foodstuffs (including edible oilseeds and oil), coal (including coke and derivatives of coal), iron, steel and mica.

(b) offences against laws with respect to any of the matters mentioned in clause (a) jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of those matters, and fees in respect of any of those matters but not including fees taken in any court.'

['(क) सूती और ऊनी वस्त्रों, कच्ची रूई (जिसके अंतर्गत धुनी हुई रूई और बिना धुनी रूई या कपास है), बिनौले, कागज (जिसके अंतर्गत समाचारपत्र का कागज है), खाद्य पदार्थ (जिसके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल है), कोयले (जिसके अंतर्गत कोक और पत्थर-कोयला-जन्य पदार्थ हैं), लोहे, इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और वितरण;

---

* इस चिन्ह का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

(ख) खण्ड (क) में वर्णित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध, उच्चतम न्यायालय से भिन्न सब न्यायालयों का उन विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियां, तथा उन विषयों में से किसी के संबंध में किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसों से अन्य फीसें।' "]

इस संशोधन द्वारा मूल अनुच्छेद में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं: उप-खण्ड (क) से अब पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों का तथा यंत्र-चालित वाहनों को निकाल देने का प्रस्ताव है। पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों का उप-खण्ड (क) से लोप इस कारण किया जा रहा है कि अब वह मद सातवीं अनुसूची की सूची 1 में सम्मिलित कर दी गई है। यंत्र-चालित वाहनों का लोप इस कारण किया गया है कि उन पर इस समय नियंत्रण नहीं है और उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। यदि केन्द्र चाहे तो वह विधान बना सकता है। मूल अनुच्छेद का उप-खण्ड (ख)—विस्थापित व्यक्तियों को राहत तथा उनका पुनर्वास—अब आवश्यक नहीं है चूंकि उसे भी समवर्ती सूची में रख दिया गया है। उप-खण्ड (ग) के संबंध में, जांच पड़ताल और सांख्यिकीय को भी समवर्ती सूची में रखा गया है और इसलिए इसका भी लोप किया जा रहा है। यह केवल पारिणामिक संशोधन है। मूल अनुच्छेद 306 में इस संशोधन द्वारा यही परिवर्तन किए जा रहे हैं।

***अध्यक्ष:** क्या मैं डॉ. अम्बेडकर से एक बात पूछ सकता हूं? मेरा विचार है कि ढोरों का चारा जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत चारे हैं, एक ऐसी वस्तु थी जिस पर पर्याप्त नियंत्रण रखना किसी समय आवश्यक समझा गया था। भारत सरकार अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव था, परन्तु उसका संशोधन उस समय किया नहीं जा सका था और काफी कठिनाई का अनुभव हो रहा था। मैं नहीं जानता कि आपने उस पर विचार किया है अथवा नहीं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** उद्योग तथा आपूर्ति विभाग के परामर्श से इस अनुच्छेद का प्रारूप पुन: तैयार किया गया था। उन्होंने जिन विषयों पर केन्द्र का नियंत्रण रखना आवश्यक समझा था वे हमने पांच वर्षों की अवधि के लिए इसमें सम्मिलित कर लिए हैं। यदि सभा का ऐसा विचार है कि उप-खण्ड (क) में और कोई विशिष्ट मद सम्मिलित की जानी चाहिए तो मुझे उस पर निश्चय ही कोई आपत्ति नहीं है।

***अध्यक्ष:** मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं जो अब कुछ पुराना पड़ गया है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं समझता हूं कि उस वस्तु को सम्मिलित करना निश्चय ही वांछनीय है।

***डॉ. पी.एस. देशमुख** (मध्य प्रान्त और बरार: जनरल): कृषि विभाग के साथ परामर्श करके उसे सम्मिलित कर लिया जाए।

***अध्यक्ष:** मेरा भी यही सुझाव है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं समझता हूं कि हम उसे सम्मिलित कर लेंगे। मैं ढोरों के लिए चारा सहित खाद्य पदार्थ सम्मिलित कर सकता हूं।

***अध्यक्षः** ढोरों का चारा जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत चारे हैं। इसके कुछ संशोधन हैं। संशोधन संख्या 2. डॉ. देशमुख।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में, अनुच्छेद 306 के प्रस्तावित खण्ड (क) में, 'State in' **शब्दों के स्थान पर** 'State with respect to' शब्द रखे जाएं।"

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 1 में, अनुच्छेद 306 के प्रस्तावित खण्ड (क) में 'Coal (including coke and derivatives of coal' कोयले 'जिसके अंतर्गत कोक और पत्थर-कोयला जन्य पदार्थ हैं।' **शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर** 'coal, coke and derivatives of coal' 'कोयला, कोक और पत्थर-कोयला जन्य-पदार्थ' शब्द रखें जाएं।"

ये संशोधन लगभग प्रारूपण सम्बन्धी हैं, यद्यपि मेरे द्वारा प्रस्तुत पहले संशोधन से, यदि मेरी शब्दावली स्वीकार की गई तो, कुछ अन्तर पड़ेगा। तथापि, मैं इन पर जोर देना नहीं चाहता और मैं इसके लिए तैयार हूं कि प्रारूप समिति इन पर विचार करे।

***अध्यक्षः** खण्ड दो में पंडित कुंजरू के नाम में एक संशोधन मुद्रित है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहारः जनरल): महोदय, मेरा भी एक संशोधन है।

***अध्यक्षः** जी हां, आप इसे पेश कर सकते हैं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः

"कि संशोधन सूची (खण्ड दो) के संशोधन संख्या 3286 और 3287 के संदर्भ में अनुच्छेद 306 में, 'five (पांच)' शब्द के स्थान पर 'fifteen (पन्द्रह)' **शब्द रखा जाए।**'

प्रारूप समिति के सदस्यों की राय है कि जो आर्थिक कठिनाइयां हमारे समक्ष हैं उन पर वे पांच वर्षों के संक्रमण काल में काबू पा सकेंगे। इस प्रारूप संविधान में अनुच्छेद 306 सम्मिलित करने का यही एकमात्र उद्देश्य है। मेरा विचार है कि वे पांच वर्षों की अवधि में अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे। जो आर्थिक संकट हमारे समक्ष है वह केवल राष्ट्रीय स्वरूप का नहीं है, बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी है। मेरा विचार है कि पूंजीवादी समाज के आर्थिक ढांचे के कारण और युद्ध के परिणामस्वरूप, मानव समाज का समूचा ढांचा ढह रहा है। और भारत विशेष रूप से अवनति एवं ह्रास के काल से गुजर रहा है। हमारे समाज का सम्पूर्ण ढांचा बदल रहा है। मैं समझता हूं कि हम क्रांति के द्वार पर खड़े हैं। खाद्य पदार्थों और खनिजों जैसे विषय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहने चाहिए थे, परन्तु अब हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि इन्हें कम से कम संक्रमण काल के लिए भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में रखें। संक्रमण काल पन्द्रह वर्षों का होगा, न कि पांच वर्षों का। परन्तु कोई भी संकट लम्बे समय तक चल नहीं सकता और यदि चलता है तो उसका परिणाम होगा राज्य का अन्त। या तो हम संकट पर काबू पा लें या फिर संकट हम पर हावी हो जाएगा। यदि संकट पन्द्रह वर्षों से अधिक समय तक चलता है तो इससे पूर्ण अराजकता फैल जाएगी, जैसा कि हम आज चीन में देख रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम इस अवधि में इन कठिनाइयों पर काबू पा लें।

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

इस संविधान का आधार संघीय ढांचा है। मेरा विचार है अपकेन्द्री शक्तियां इतनी प्रबल हो जाएंगी कि इस संविधान में परिवर्तन करने के लिए संशोधन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। हमें अपने जीवन के राजनीतिक तथ्यों पर विचार करना होगा। इसी पृष्ठभूमि में अनुच्छेद 306 में रूप-भेद किया जाना चाहिए। मेरा संशोधन बहुत तर्कसंगत है। अनुच्छेद 306 के अन्तिम भाग में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत पारित की जाने वाली सभी विधियां उस सीमा तक प्रवर्तन में नहीं रहेंगी जिस सीमा तक कि वे इस संविधान के मुख्य उपबंधों के अनुरूप नहीं हों। मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक एवं अवांछनीय है। केन्द्रीयकरण का जो काम पांच वर्षों में किया जाना है उसे व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए। यदि सदन मेरा संशोधन स्वीकार कर लेता है तो प्रान्तीय सरकारों को पांच वर्षों या पन्द्रह वर्षों की अवधि में पारित विधियों को स्वीकार करना ही होगा। अनुच्छेद 306 का कार्यक्षेत्र का एक अन्य दृष्टि से भी सीमित है। हमने इन वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण आदि संबंधी शक्तियां संसद को दी हैं। इन विषयों का सम्पूर्ण क्षेत्र भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखना चाहिए था। इतना सीमित क्षेत्र में क्यों रखा गया है। यह सीमित शक्ति वांछनीय नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि हमें शक्तिशाली राष्ट्र बनना है तो विखण्डनकारी शक्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए।

***पंडित हृदय नाथ कुंजरू** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अनुच्छेद 306 के खण्ड (क) में, 'Coal (कोयला)' शब्द के पश्चात् 'Charcoal, firewood (लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ी)' **शब्द अन्तःस्थापित किये जाएं"**

मुझे विश्वास है कि सदन यह भली-भांति जानता है कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लकड़ी के कोयले और जलाऊ लकड़ी के मूल्यों पर नियंत्रण था। यदि भारत सरकार प्रान्तों को शक्ति प्रत्यायोजित न करती तो प्रान्त इन दो वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने की स्थिति में न होते। भारत प्रतिरक्षा अधिनियम अब लागू नहीं है और इस कारण डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद के खण्ड (क) में संशोधन करना वांछनीय है ताकि इन दो वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सके। मैंने सुना है कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के समाप्त हो जाने के पश्चात्, संसद द्वारा 1946 में पारित भारत सरकार अनिधियम, 1935 के एक संशोधनकारी अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत ये वस्तुएं बराबर भारत सरकार के नियंत्रण में चली आ रही हैं। उसमें लकड़ी के कोयले अथवा जलाऊ लकड़ी का कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे कोयलों से उत्पन्न पदार्थों में सम्मिलित हैं। मैं इस व्याख्या को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ हूं। लकड़ी के कोयले और जलाऊ लकड़ी के मूल्य निर्धारित करने में प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही को किसी ने भी चुनौती नहीं दी है। परन्तु यदि किसी ने चुनौती दी होती तो मैं नहीं समझता कि कोई न्यायालय यह तर्क स्वीकार करता कि लकड़ी का कोयला या जलाऊ लकड़ी कोयले से उत्पन्न पदार्थ हैं। सामान्य रूप से हम कोयले का अर्थ "एन्थ्रेसाईट" से लेते हैं। लकड़ी का कोयला लकड़ी का उत्पाद है, न कि कोयले का न तो लकड़ी का कोयला और न लकड़ी ही कोयले का उत्पाद है। अतः इन दोनों वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट रूप से भारत सरकार के नियंत्रण की व्यवस्था करना आवश्यक है। ये जन सामान्य के काम की वस्तुएं

हैं। जब हम अनेक वस्तुओं पर भारत सरकार के नियंत्रण के लिए व्यवस्था कर रहे हैं तो हमारे लिए आवश्यक एवं वांछनीय है कि हम निर्धनों की आवश्यकताओं के बारे में भी विचार करें और इन वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए भी संविधान में शक्ति प्राप्त करें। हम सब जानते हैं कि युद्ध के दौरान इन वस्तुओं के बारे में स्थिति कितनी गम्भीर थी और हम यह भी जानते हैं कि अब भी इनके मूल्य कितने अधिक हैं। हम प्रायः खाद्य पदार्थों के अधिक मूल्यों के बारे में सोचते हैं और यह बात बहुत कम लोग महसूस करते हैं कि लकड़ी के कोयले और जलाऊ लकड़ी के अधिक मूल्य निर्धन व्यक्ति के लिए उतनी ही चिन्ता का विषय हैं जितने कि खाद्य पदार्थों के अधिक मूल्य, डॉ. अम्बेडकर चूंकि सदन के समक्ष प्रस्तुत खण्डों में संशोधन करने के सुझावों पर विचार करने की मुद्रा में हैं, अतः मैं आशा करता हूं कि वह इस विषय पर भी विचार करेंगे और खण्ड (क) में इस प्रकार संशोधन करने हेतु शक्ति प्राप्त करेंगे जिससे कि लकड़ी के कोयले और जलाऊ लकड़ी के व्यापार पर नियंत्रण रखने की पूरी शक्ति भारत सरकार को प्राप्त हो जाये।

***अध्यक्षः** यही सब संशोधन हैं। क्या कोई माननीय सदस्य मूल अनुच्छेद अथवा किसी संशोधन के विषय में कुछ कहना चाहता है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): अध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद में हमने व्यवस्था की है कि कुछ ऐसे विषय जो साधारणतया राज्य-सूची में शामिल होते हैं पहले पांच वर्षों में समवर्ती सूची में रहेंगे इस समय भी भारत सरकार अधिनियम (अनुकूलन) 1946 में इसी प्रकार की व्यवस्था है जिसका आशय वर्तमान स्थिति पर काबू पाना है। परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस अनुच्छेद में निर्धारित अवधि बहुत कम है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य-सूची में उल्लिखित इन मदों को प्रथम पांच वर्षों के लिए समवर्ती-सूची में रखना शायद आवश्यक होगा ताकि संसद द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इस विषय में मैं अपने मित्र श्री बृजेश्वर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत इस आशय के संशोधन का समर्थन करूंगा कि यह पांच वर्षों की अवधि बहुत कम है और कि यह अवधि और अधिक होनी चाहिए। यदि उस अवधि को अनावश्यक पाया गया तो हम उसे कम कर सकते हैं, परन्तु संविधान में ज्यादा अवधि के लिए उपबंध करने में कोई हानि नहीं है।

दूसरे, महोदय, मैं समझता हूं कि बेहतर होता यदि राहत एवं पुनर्वास के विषय को भी समवर्ती सूची में रखे जाने वाले विषयों की इस सूची में सम्मिलित कर लिया जाता। मुझे मालूम नहीं कि क्या इस विषय को समवर्ती सूची से निकाल देने का इरादा है। यदि वहां नहीं तो संविधान में किसी अन्य स्थान पर इस विषय का उल्लेख होना चाहिए, ताकि उन लाखों-लाखों लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए उचित विधान बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जो...।

***अध्यक्षः** समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33-ख में, विभाजन के कारण अपने मूल निवास स्थानों से विस्थापित हुए लोगों को राहत एवं पुनर्वास का विषय सम्मिलित है। अतः आप देखेंगे कि इसकी व्यवस्था की गई है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** महोदय, मुझे खुशी है कि संविधान में इसकी व्यवस्था है। मैं इस विषय में और कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपना सुझाव वापस लेता हूं। परन्तु मैं समझता हूं कि पांच वर्षों की अवधि बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

***अध्यक्षः** क्या कोई अन्य सदस्य बोलना चाहता है? डॉ. अम्बेडकर।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** महोदय, मुझे केवल इतना ही कहना है कि मैं श्री ब्रजेश्वर प्रसाद द्वारा पेश किया गया संशोधन स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। जहां तक आपके द्वारा और मेरे मित्र डॉ. कुंजरू द्वारा सुझाये गये दूसरे संशोधन का संबंध है, मैं यह कह सकता हूं कि मेरा इस विषय में खुला मन है और मैं उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय से परामर्श करने के पश्चात् आवश्यक संशोधन पेश करने के लिए तैयार हूं। अतः अब मेरा संशोधन सभा के मतदान के लिए रखा जाए।

***अध्यक्षः** और कृषि मंत्रालय भी आप उस मंत्रालय से भी परामर्श कर लें।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** जी हां, महोदय, मैं सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श करूंगा।

***अध्यक्षः** डॉ. अम्बेडकर ने जो कुछ कहा है उसके अधीन रहते हुए, मैं अनुच्छेद को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। पहले मैं संशोधनों को लूंगा। डॉ. देशमुख का संशोधन संख्या 2 लगभग शाब्दिक है और वह इसे प्रारूप समिति पर छोड़ दें और संशोधन संख्या 3 भी। संशोधन संख्या 4 की क्या स्थिति है?

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** मैं इसे पेश नहीं कर रहा हूं।

***अध्यक्षः** तब मैं श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का संशोधन संख्या 5 सभा के मतदान के लिए रखता हूं:

प्रश्न यह है:

"कि संशोधन-सूची (खण्ड दो) के संशोधन संख्या 3286 और 3287 के संदर्भ में अनुच्छेद 306 में, 'five (पांच)' **शब्द के स्थान पर** 'fifteen (पन्द्रह)' **शब्द रखा जाये।**"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

***अध्यक्षः** अब मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 306 के खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के स्थान पर ये खण्ड रखे जाएं:

(a) trade and commerce within a State in, and the production, supply and distribution of, cotton and woollen textiles, raw cotton (including ginned cotton and unginned cotton or Kapas), cotton seed, paper (including newsprint), foodstuffs (including edible oil-seeds and oil), coal (including coke and derivatives of coal), iron, steel adn mica;

(b) offences against laws with respect to any of the matters mentioned

in clause (a), jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of those matters, and fees in respect of any of those matters but not including fees taken in any court.'

'[(क) सूती और ऊनी वस्त्रों, कच्ची रूई (जिसके अंतर्गत धुनी हुई रूई और बिना धुनी रूई या कपास है), बिनौले, कागज (जिसके अन्तर्गत समाचारपत्र का कागज है), खाद्य पदार्थ (जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं), कोयला (जिसके अन्तर्गत कोक और पत्थर-कोयला-जन्य पदार्थ हैं), लोहे, इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और वितरण;

(ख) खण्ड (क) में वर्णित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध, उच्चतम न्यायालय से भिन्न सब न्यायालयों का उन विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियां तथा उन विषयों में से किसी के संबंध में किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसों से अन्य फीसें।' "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

***अध्यक्ष:** अब मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन द्वारा संशोधित रूप में, अनुच्छेद सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 306, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 306, संशोधित रूप में, संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 309

***अध्यक्ष:** अब हम अनुच्छेद 309 को लेते हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** एक नया अनुच्छेद 307-क जोड़ने के बारे में भी ब्रजेश्वर प्रसाद का संशोधन है।

***अध्यक्ष:** परन्तु क्या अब हम उसे लें?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** इसे रोक रखा जाए।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास: जनरल): पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा अपने संशोधन संख्या 3303, खण्ड दो, में नये अनुच्छेद का सुझाव दिया गया है, उसे भी मैं समझता हूं कि निबटा दिया जाए।

***अध्यक्ष:** अच्छा, पंडित ठाकुर दास भार्गव? वह सदन में नहीं हैं। दो अन्य सदस्यों द्वारा संशोधनों की सूचना दी गई है। लाला अचिंत राम? श्री देशबन्धु गुप्त?

इनमें से कोई भी अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा है। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का संशोधन भी पेश नहीं किया जा सकता।

मैं अनुच्छेद 309 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। इसका कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 309 संविधान का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुच्छेद 309 संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 310-क तथा अनुच्छेद 310-ख

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** अगला अनुच्छेद, अर्थात् अनुच्छेद 310 अनुच्छेद 308 से जुड़ा हुआ है। अत: इन दोनों पर एक साथ विचार कर लिया जाए।

***अध्यक्ष:** अनुच्छेद 310 पर विचार स्थगित कर दिया गया है। अब सभा अगले अनुच्छेद 310-क तथा अनुच्छेद 310-ख पर विचार आरम्भ करेगी।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित संशोधन संख्या 12, कुछ संशोधित रूप में पेश करता हूं:

"कि अनुच्छेद 310 के पश्चात्, निम्नलिखित नये अनुच्छेद रखे जाएं:

Provisions as to Comptroller and Auditor General of India.

'310A. The Auditor General of India holding office immediately before the date of commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise become on that date the Comptroller and Auditor General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave and pension as are provided for under clause (2) of article 124 of this Constitution in respect of the Comptroller and Auditor General of India and shall be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable immediately before such commencement."

Provisions as to Public Service Commissions.

310B. (1) The members of this Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the date of commencement of this Constitution shall, unless they have elected othersise, become on that date the members of the Public Service Commission for the Union and shall notwithstanding anything contained in clauses (1) and (2) of article 285 of this Constitution but subject to the proviso to clause (2) of that article continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

(2) The members of a Public Service Commission of a Province or of a Public Service Commission serving the needs of a group of Provinces holding office immediately before the date of commencement of this Constitution shall unless they have elected otherwise, become on that date the members of the Public Service Commission for the corresponding State or the members of the Joint Public Service Commission serving the needs of the corresponding States, as the case may be and shall, notwithstanding anything contained in clauses (1) and (2) of article 285 of this Constitution but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members."

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबन्ध।

['310-क इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले पदस्थ भारत का महालेखापरीक्षक, यदि वह अन्यथा पसन्द न कर चुका हो, ऐसे प्रारम्भ पर भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हो जाएगा तथा तत्पश्चात् ऐसे वेतनों तथा भत्तों तथा छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक रखेगा जैसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में इस संविधान के अनुच्छेद 124 के खण्ड (2) के अधीन उपबंधित हैं तथा अपनी उस पदावधि की, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले उसे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक, पदस्थ बने रहने का हक रखेगा।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबन्ध।

310-ख (1) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के लोक सेवा आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर संघ के लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे और अनुच्छेद 285 के खण्ड (1) और खण्ड (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उस अनुच्छेद के खण्ड (2) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, अपनी उस पदावधि की, जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू होने वाले नियमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे।

(2) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले किसी प्रान्त के लोक सेवा आयोग के या प्रांतों के समूह की आवश्यकता के लिये सेवा करने वाले किसी लोक सेवा आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर, यथास्थिति, तत्स्थानी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य अथवा तत्स्थानी राज्यों की आवश्यकताओं के लिये सेवा करने वाले संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद 285 के खंड (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उस अनुच्छेद के खण्ड (2) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, अपनी उस पदावधि की, ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे।']

महोदय, इन अनुच्छेदों में केवल कुछ ऐसे पदों के धारकों के बने रहने हेतु उपबंध किया गया है जिनका विनियमन संविधान द्वारा होता है, जैसे लोक सेवा आयोग के सदस्य और महालेखापरीक्षक। इन अनुच्छेदों में सिद्धान्त का कोई मामला अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** महादेय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

["That in amendment No. 12 of List 1 (First Week), in the proposed new article, 310 B, after the words 'commencement of this Constitution' wherever they occur, the words 'whose services have not, for any reason, been terminated' be inserted."]

["कि सूची 1 (प्रथम सप्ताह) के संशोधन संख्या 12 में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 310-ख में, 'पद धारण करने वाले सदस्य' **शब्दों के पश्चात्**, जहां कहीं भी ये प्रयुक्त हुए हों, 'जिन की सेवाएं किसी भी कारण से, समाप्त नहीं की गई हैं **शब्द रखे जाएं**।"]

अनुच्छेद 310 में भी इस प्रकार का संशोधन पेश करने का मेरा विचार है। मेरी कठिनाई यह है कि यदि प्रस्तावित नया अनुच्छेद इसी रूप में रहे तो यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या ऐसे प्रत्येक पद धारक को जो राज्य के सेवा आयोग का सदस्य है, उस स्थिति में भी जब एक से अधिक राज्यों का एक संयुक्त आयोग हो, उन राज्यों के समूह के आयोग का सदस्य बनाए रखना होगा। प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार, जो इसकी वर्तमान शब्दावली है, सरकार के पास सिवाय इसके कोई शक्ति नहीं रहेगी कि संविधान के प्रारम्भ के पश्चात भी आयोग के वर्तमान पदधारक प्रत्येक व्यक्ति को उस पद पर बनाए रखा जाए। यदि प्रस्तुत अनुच्छेद की वर्तमान शब्दावली वही रही जो कि इस समय है तो उस सदस्य की सेवायें भी समाप्त नहीं की जा सकेंगी जिसकी सेवायें अनेक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग बनने पर समाप्त की जा सकती थी। कुछ सदस्यों की सेवाएं समाप्त करने के लिए कोई उपबंध नहीं है, तो प्रत्येक पद धारक को उसके वर्तमान पद पर बनाए रखना होगा। मैं समझता हूं कि इससे व्यय बहुत बढ़ जाएगा। अतः मेरा प्रस्ताव है कि मेरे शब्द, जिनका मैंने सुझाव दिया है, अनुच्छेद में जोड़े जाएं ताकि किसी क्षेत्र विशेष के लोक सेवा आयोग के सदस्यों के रूप में उस क्षेत्र में पद-धारकों की संख्या कम की जा सके।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं, डॉ. देशमुख का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। यह अनावश्यक है।

***अध्यक्षः** मैं पहले डॉ. देशमुख का संशोधन सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"That in amendment No. 12 of List I (First Week) in the proposed new article 310-B, after the words 'commencement of this Constitution' wherever they occur, the words 'whose services, have not, for any reason, been terminated' be inserted."

["कि सूची 1 (प्रथम सप्ताह) के संशोधन संख्या 12, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 310-ख में, 'पद धारण करने वाले सदस्य' **शब्दों के पश्चात्**, जहां कहीं भी ये प्रयुक्त हुए हों, 'जिनकी सेवाएं, किसी भी कारण से, समाप्त नहीं की गई हों' **शब्द रखे जाएं**।"]

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में अन्तर्विष्ट अनुच्छेद एक-एक करके सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 310 के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद रखा जाये:

Provisions as to Comptroller and Auditor General of India.

['310A. The Auditor General of India holding office immediately before the date of commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on that date the Comptroller and Auditor General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave and pension as are provided for under clause (2) of article 124 of this Constitution in respect of the Comptroller and Auditor General of India and shall be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable immediately before such commencement.'

भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के बारे में उपबंध

['310क. इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले पदस्थ भारत का महालेखापरीक्षक, यदि वह अन्यथा पसन्द न कर चुका हो, ऐसे प्रारम्भ पर भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक हो जाएगा तथा तत्पश्चात ऐसे वेतनों तथा भत्तों तथा छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक रखेगा जैसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में इस संविधान के अनुच्छेद 124 के खण्ड (2) के अधीन उपबंधित है तथा अपनी उस पदावधि की, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले उसे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक, पदस्थ बने रहने का हक रखेगा।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 310क के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद रखा जाए:

Provisions as to Public Service Commissions.

['310B. (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the date of commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on that date the members of this Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything contained in clauses (1) and (2) of article 285 of this Constitution but subject to the proviso to clause (2) of that article continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

[अध्यक्ष]

(2) The members of a Public Service Commission of a Province or of a Public Service Commission serving the needs of a group of Provinces holding office immediately before the date of commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on that date members of this Public Service Commission for the corresponding State or the members of the joint Public Service Commission serving the needs of the corresponding States, as the case may be and shall notwithstanding any thing contained in clauses (1) and (2) of article 285 of this Constitution but subject to the proviso to clause (2) of the article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members."

लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध

['310ख (1) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के लोक सेवा आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर संघ के लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे और अनुच्छेद 285 के खण्ड (1) और खण्ड (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उस अनुच्छेद के खण्ड (2) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, अपनी उस पदावधि की, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू होने वाले नियमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे।

(2) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले किसी प्रांत के लोक सेवा आयोग के या प्रांतों के समूह की आवश्यकता के लिए सेवा करने वाले किसी लोक सेवा आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर, यथास्थिति, तत्स्थानी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य अथवा तत्स्थानी राज्यों की आवश्यकताओं के लिए सेवा करने वाले संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे तथा अनुच्छेद 285 के खण्ड (1) और खण्ड (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उस अनुच्छेद के खण्ड (2) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, अपनी उस पदावधि की, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे।']

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 310-क और 310-ख संविधान में जोड़ दिए गए।

अनुच्छेद 311-क

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अनुच्छेद 311 के पश्चात्, निम्नलिखित नया अनुच्छेद रखा जाए:

[311A. (1) Such person as the Constituent Assembly of the dominion of India shall have elected in this behalf shall be the Provisional President of India until a President has been elected in accordance with the provisions contained in Chapter I of Part V of this Constitution and has entered upon his office. Provisions as to Provisional President.

(2) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the provisional President by reason of his death, resignation or removal, or otherwise it shall be filled by a person elected in this behalf by the Provisional Parliament functioning under article 311 of this Constitution and until a person is so elected, the Chief Justice of India shall act as the Provisional President."

[311क (1) ऐसा व्यक्ति, जिसे इस बारे में भारत डोमिनियन की संविधान सभा ने निर्वाचित कर लिया हो, भारत का तब तक अस्थायी राष्ट्रपति होगा जब तक कि इस संविधान के भाग-5 के अध्याय 1 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाये तथा अपने पद को ग्रहण न कर ले। अस्थायी राष्ट्रपति के बारे में उपबंध

(2) अस्थायी राष्ट्रपति के पद में, उसकी मृत्यु, पद त्याग या हटाये जाने के कारण या अन्यथा कोई रिक्तता होने पर उसकी पूर्ति इस संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत कृत्यकारिणी अन्तर्कालीन संसद द्वारा उस लिये निर्वाचित व्यक्ति से की जायेगी, तथा जब तक ऐसा व्यक्ति निर्वाचित न हो तब तक भारत का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।']

***अध्यक्षः** इस अनुच्छेद के दो संशोधन हैं। उनमें से एक संशोधन "राष्ट्रपति" शब्द से पहले "अस्थायी" शब्द हटाये जाने के लिए है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि सूची 2 (प्रथम सप्ताह) के संशोधन संख्या 28 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 311-क के खण्ड (1) में, 'provisional (अस्थायी)' **शब्द निकाल दिया जाए**।"

"कि सूची 2 (प्रथम सप्ताह) के संशोधन संख्या 28 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 311-क के खण्ड (2) में, 'Provisional President (अस्थायी राष्ट्रपति)' **शब्दों के स्थान पर**, जहां से ये प्रथम स्थान पर प्रयुक्त हुए हों 'President so elected by the Constituent Assembly of the Dominion of India (भारत डोमिनियन की संविधान सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति), शब्द रखे जाएं।"

"कि सूची 2 (प्रथम सप्ताह) के संशोधन संख्या 28 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 311-क के खण्ड (2) में 'Provisional President (अस्थायी राष्ट्रपति)' **शब्दों के स्थान पर**, जहां ये दूसरे स्थान पर प्रयुक्त हुए हों 'President (राष्ट्रपति)' **शब्द रखे जाएं**।"

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** मेरे संशोधन के सिद्धांत को चूंकि स्वीकार कर लिया गया है अत: मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन पेश करने का कोई औचित्य नहीं है।

***अध्यक्ष:** अब अनुच्छेद और संशोधनों पर चर्चा की जा सकती है।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्य प्रान्त और बरार: जनरल): मेरे नाम में भी एक संशोधन है:

"कि संशोधन संख्या 13 में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 311-ख में, 'Provisional (अस्थायी)' **शब्द के स्थान पर,** जहां कहीं भी यह प्रयुक्त हुआ हो, 'First (प्रथम)' **शब्द रखा जाए**।"

महोदय, मुझे खुशी है कि डॉ. अम्बेडकर "राष्ट्रपति" शब्द से पहले "अस्थायी" शब्द को हटा दिये जाने पर सहमत हो गये हैं, क्योंकि यह बात मेरी समझ से बाहर है कि आप स्थायी राष्ट्रपति कैसे रख सकते हैं। विधिवत रूप से गठित सभा राष्ट्रपति को निर्वाचित करेगी। उसे प्रथम राष्ट्रपति तो कहा जा सकता है परन्तु आप उसे "अस्थायी" नहीं कह सकते। "अस्थायी" शब्द का अर्थ होगा किसी ने उसे मनोनीत किया है। मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति पर कोई आक्षेप किया जाये और इसलिए मैंने सोचा कि "प्रथम" शब्द अपेक्षतया अधिक उचित होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अन्तर्गत, संक्रमण काल के दौरान जब उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था और उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रान्त नामक एक अलग प्रान्त का निर्माण किया गया था और जब सिन्ध को बम्बई से अलग किया गया था और उसका एक अलग प्रान्त के रूप में गठन किया गया था तो इन प्रान्तों के गवर्नरों को प्रथम गवर्नर कहा जाता था हालांकि वे मनोनीत किये गये थे। अत: मैं समझता हूं कि अपने प्रथम राष्ट्रपति के लिए, जिसे हम इस संविधान के उपबंधों के अन्तर्गत निर्वाचित करेंगे, "अस्थायी" शब्द का प्रयोग करना अन्यायसंगत और अनुचित होगा। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि प्रारूप समिति ने "अस्थायी" शब्द हटा दिया है। मैं तो "प्रथम" शब्द को बेहतर समझूंगा परन्तु "अस्थायी" शब्द हटा देने से मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है और मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा से कहूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाए।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** अध्यक्ष महोदय, डॉ. अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 311-क का खण्ड (2) पेश किया है, उसमें यह उपबंध है कि अस्थायी राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे इस संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत कार्यरत अस्थायी संसद द्वारा इस हेतु निर्वाचित व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस संसद को 'provisional (अस्थायी)' नहीं कहा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि डॉ. अम्बेडकर इस सुझाव की तर्कसंगतता को समझेंगे और 'Parliament (संसद)' शब्द से पहले 'provisional (अस्थायी)' शब्द को निकाल देंगे, जैसा कि उन्होंने राष्ट्रपति के मामले में किया है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं नहीं समझा कि 'Provisional Parliament (अस्थायी संसद)' शब्द रखे जाने पर अधिक आपत्ति हो सकती है। मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। इसे 'Provisional Parliament (अस्थायी संसद)' नहीं कहा जाएगा, परन्तु इस अनुच्छेद के भाषा के प्रयोजनार्थ मैं समझता हूं कि यह कहना आवश्यक है कि यह अस्थायी संसद है।

***श्री आर.के. सिधवा:** परन्तु मैंने यह समझा था कि डॉ. अम्बेडकर "अस्थायी" शब्द को हटाने के लिए सहमत हो गए हैं।

***अध्यक्ष:** जी नहीं, यह संसद के संबंध में है। श्री शिब्बनलाल सक्सेना चाहते थे कि "संसद" शब्द से पहले "अस्थायी" शब्द हटा दिया जाए।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** यदि ऐसा है तो मैं अन्य स्थान पर भी "अस्थायी" शब्द हटाने के लिए अपना संशोधन पेश करना चाहूंगा।

***अध्यक्ष:** क्या आप के संशोधन में संसद का भी उल्लेख है?

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** जी हां, महोदय।

***अध्यक्ष:** श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने इसे पेश कर दिया है। उसे सभा के मतदान के लिए रखा जाए। अब मैं विभिन्न संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है:

"कि सूची 2 (प्रथम सप्ताह) के संशोधन संख्या 23 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311-क के खण्ड (1) में 'provisional (अस्थायी)' **शब्द निकाल दिया जाए।**"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***माननीय श्री के. सन्थानम** (मद्रास: जनरल): क्या इसका यह अर्थ है कि "संसद" शब्द से पहले भी "अस्थायी" शब्द हटा दिया जाएगा?

***अध्यक्ष:** जी नहीं, वह संशोधन बाद में आएगा।

प्रश्न यह है:

"कि सूची 2 प्रथम सप्ताह के संशोधन संख्या 28 में प्रस्तावित अनुच्छेद 311-क के खण्ड (2) में 'Provisional President (अस्थायी राष्ट्रपति)' **शब्दों के स्थान पर,** जहां ये प्रथम स्थान पर प्रयुक्त हुए हों 'President so elected by the Constituent Assembly of the Dominion of India भारत डोमिनियन की संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति।' **शब्द रखे जाएं।**"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 2 (प्रथम सप्ताह) के संशोधन संख्या 28 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 311-क के खण्ड (2) में the Provisional President (अस्थायी राष्ट्रपति)' **शब्दों के स्थान पर,** जहां ये दूसरे स्थान पर प्रयुक्त हुए हों 'President (राष्ट्रपति)' **शब्द रखा जाए।**"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** इसके बाद मैं उस संशोधन को लेता हूं जो डॉ. देशमुख पेश करना चाहते थे परन्तु जिसे वास्तव में श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने पेश किया।

प्रश्न यह है:

"कि प्रस्तावित नये अनुच्छेद 311-क के खण्ड (2) में, 'Parliament (संसद)' शब्द से पहले प्रयुक्त 'provisional (अस्थायी)' **शब्द निकाल दिया जाए।"**

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 311-क, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 311-क, संशोधित रूप में, संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 311-ख

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अनुच्छेद 311-क के पश्चात् यह नया अनुच्छेद रखा जाए:

Council of Ministers of the Provisional President

'311B. Such persons as the provisional President may appoint in this behalf shall become members of the Council of Ministers of the provisional President under this Constitution and until appointments are made, all persons holding office as ministers for the Dominion of India immediately before the commencement of the Constitution shall become and shall continue to hold office as members of the Council of Ministers of the provisional President under the Constitution.'

अस्थायी राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद्

['311-ख, ऐसे व्यक्ति, जिन्हें अस्थायी राष्ट्रपति इस लिये नियुक्त करे, इस संविधान के अधीन अस्थायी राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद् के सदस्य होंगे तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार न की जायें तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति संविधान के अधीन अस्थायी राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद के सदस्य हो जाएंगे तथा इस रूप में पदस्थ बने रहेंगे।"]

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपना संशोधन पेश करने का अवसर प्रदान किया। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 13 में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 311-ख में 'provisional (अस्थायी)' **शब्द जहां कहीं** यह प्रयुक्त हुआ है, **निकाल दिया जाए।"**

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चूंकि माननीय डॉ. अम्बेडकर ने इस संशोधन के पीछे जो सिद्धान्त है उसे स्वीकार कर लिया है अतः मैं इससे अधिक कुछ कह कर सभा का समय लेना नहीं चाहता। यह लगभग पारिणामिक संशोधन है।

(संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत नहीं किया गया।)

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि डॉ. अम्बेडकर इस संशोधन को स्वीकार करते हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** जी हां, महोदय, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** महोदय, मैं इस उपबंध को समझ नहीं पाया। जिस दिन नया संविधान लागू हो जाएगा उसी दिन वर्तमान मंत्रालय विद्यमान नहीं रहेगा और एक नयी मंत्रि-परिषद को शपथ दिलाई जानी चाहिए। ऐसा कोई उपबंध नहीं होना चाहिए कि:

> "इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति संविधान के अधीन अस्थायी राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद् के सदस्य हो जाएंगे तथा इस रूप में पदस्थ बने रहेंगे।"

मैं समझता हूं कि नया संविधान लागू होने के बाद पहला काम यही होना चाहिए कि नयी मंत्रि-परिषद् को शपथ ग्रहण करायी जाए। जब नया संविधान लागू हो जाये तो उचित यही होगा कि राष्ट्रपति नये मंत्रियों को पद ग्रहण करने हेतु बुलाएं। यदि हमें कोई उपबंध करना है तो वह प्रभारी (केअरटेकर) मंत्रियों के लिए होना चाहिए। पुराने मंत्रियों को हम नये राष्ट्रपति के मंत्रियों का नाम न दें। अतः मेरा सुझाव है कि इस अनुच्छेद में संशोधन किया जाए। आप यह कह सकते हैं कि जब तक राष्ट्रपति नई मंत्रि-परिषद् नियुक्त नहीं करता तब तक पुराने मंत्री प्रभावी (केअरटेकर) मंत्री के रूप में बने रहेंगे। यह अनोखी बात लगती है कि पुराने मंत्री अपने आप नये राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद् के सदस्य बन जाएं। इसमें कुछ त्रुटि है जिसमें सुधार किया जाना चाहिए, ताकि 26 जनवरी, 1950 को जब नया संविधान लागू हो तो पुराने मंत्री उसी दिन, नये मंत्रियों द्वारा शासन का प्रभार ग्रहण किये जाने तक, प्रभारी (केअरटेकर) मंत्री बन जाएं।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रान्त और बरारः जनरल): महोदय, श्री सक्सेना का तर्क कुछ युक्तिसंगत है। वह यह कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन नया संविधान लागू हो उस दिन समूची मंत्रि-परिषद् का अस्तित्व औपचारिक रूप से अवश्य समाप्त हो जाए, और उन्हें नये सिरे से शपथ ग्रहण कराई जा सकती है। मैं समझता हूं कि इस अवसर पर जब कि हम नया गणराज्य प्रख्यापित कर रहे हैं और इस नये संविधान का उद्घाटन कर रहे हैं तो ऐसा करना बहुत वांछनीय है। यह आवश्यक हो सकता है कि वही मंत्री उस दिन शपथ ग्रहण करें।

***एक माननीय सदस्यः** यह आवश्यक तो नहीं है।

***श्री एच.वी. कामतः** हो सकता है कि ऐसा आवश्यक न हो, परन्तु इस बात की काफी सम्भावना तो है कि वही मंत्री शपथ ग्रहण करें जो नये संविधान के प्रारम्भ से पहले मंत्री हों। परन्तु संवैधानिक मर्यादा एवं औचित्य की दृष्टि से मैं समझता हूं कि यदि मंत्रि-परिषद् उस दिन सामूहिक रूप से अपना त्याग पत्र दे दे तो बुद्धिमत्ता की बात होगी। प्रधान मंत्री को मंत्री-परिषद् का त्याग पत्र राष्ट्रपति

[श्री एच.वी. कामत]

को देना चाहिए और राष्ट्रपति को सदन के नेता से कहना चाहिए कि वह नये संविधान के संगत अनुच्छेद के अन्तर्गत नया मंत्रि-मंडल बनाए।

इस सम्बन्ध में एक अन्य बात भी है। मैं समझता हूं कि हमारे संविधान के अन्तर्गत अपनाई गई पद की शपथ उस पुरानी शपथ से कुछ भिन्न है। जिसके अनुसार मंत्रीगण शपथ ग्रहण किया करते थे। अब हमने ईश्वर को साक्षी मान कर शपथ की व्यवस्था की है, परन्तु यदि कोई मंत्री अज्ञेयवादी हो या नास्तिक हो तो वह प्रतिज्ञान कर सकता है। इस विषय पर विभिन्न पहलुओं से विचार करके मैं समझता हूं कि बुद्धिमता इसी में होगी कि हम इस सम्भाव्य स्थिति के लिए उपबंध करें और यह निर्धारित करें कि जिस दिन गणराज्य प्रख्यापित हो और संविधान का उद्घाटन हो उसी दिन मंत्रि-परिषद् औपचारिक रूप से त्याग पत्र दे दे और राष्ट्रपति सदन के नेता से कहे कि वह फिर से अपना मंत्रिमंडल बनाए।

एक अन्य बात भी है और मैं चाहूंगा कि डॉ. अम्बेडकर उस पर विचार करें। यह मात्र शाब्दिक आपत्ति है। क्या डॉ. अम्बेडकर को और प्रारूप समिति को पूरा विश्वास है कि यह अभिव्यक्ति 'Ministers for the Dominion of India' पूर्णतया सही है? मैं स्वयं इसे पसंद नहीं करता। मुझे "for" शब्द पर आपत्ति है। क्या ऐसा कहना अधिक उचित नहीं होगा: Ministers of the Dominion Government of India या 'Ministers of the Dominion of India. "for" शब्द् का प्रयोग पूर्णतया उचित नहीं है, परन्तु यदि डॉ. अम्बेडकर और अन्य भाषाविदों का यह विचार हो कि "for" शब्द का प्रयोग सही है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** महोदय, मेरा इस अवसर पर बोलने का विचार तो नहीं था परन्तु श्री शिब्बन लाल सक्सेना और श्री कामत मेरे इन दो मित्रों ने चूंकि इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं अत: मैं भी इस संशोधन पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। यदि इस अनुच्छेद से "dominion (डोमिनियन)" शब्द हटा दिया जाता तो बेहतर होता। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि नये युग के आगमन और भारतीय गणराज्य की स्थापना के साथ हमें नये मंत्रिमंडल के लिए उपबंध करना चाहिए। मैं जानता हूं कि मंत्रिमंडल में तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बिना काम चल पाना लगभग असम्भव है। मैं पंडित नेहरू, साहसी सरदार और एशिया के सर्वोत्कृष्ट विद्वान, महान नेता मौलाना साहिब का उल्लेख कर रहा हूं। इन तीनों महान व्यक्तियों का मंत्रिमंडल में रहना परमावश्यक है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य तो अधिकतर ऐसे हैं जो प्रवासी पक्षियों.....

***अध्यक्ष:** मैं नहीं समझता कि मंत्रियों का वैयक्तिक रूप से उल्लेख करना माननीय सदस्य के लिए न्यायोचित है। हमारा व्यक्तिगत रूप से उनसे कोई संबंध नहीं है। हम तो समूचे रूप में मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** महोदय, यदि "प्रवासी पक्षियों" शब्दों के प्रयोग से हमारे योग्य मंत्रियों पर आक्षेप होता है तो मुझे इसका खेद है। मेरा यह विचार था कि कि इस देश में वास्तविक गणराज्य की स्थापना होने से हम ऐसे व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में रखें जिन्हें युवा भारत का भी उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त हो। अत: यही उचित होगा कि राष्ट्रपति के लिए व्यापक विकल्प रहे और वह समयानुकूल नये-नये व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में लें। जहां तक मंत्रिमंडल के वर्तमान सदस्यों का संबंध है, मुझे वैयक्तिक रूप से उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है, परन्तु मैं समझता

हूं कि नये युग में नये व्यक्तियों की आवश्यकता है। नई बोतलों में पुरानी शराब भरने का कोई लाभ नहीं है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद** (पश्चिम बंगाल: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न चाहे छोटा-सा है परन्तु इससे संवैधानिक स्वरूप का प्रश्न उत्पन्न होता है। मैं समझता हूं कि जब गवर्नर जनरल काम करना बंद कर दें और नया राष्ट्रपति उसका स्थान ले ले तो विद्यमान मंत्रियों को त्याग पत्र दे देना चाहिए और उनको फिर से नियुक्त किया जाना चाहिए। यही बात युक्तिसंगत लगती है। इसका पहला कारण यह है कि वर्तमान मंत्री "गर्वनर जनरल के प्रसाद-पर्यन्त" पद धारण करेंगे। "गवर्नर जनरल" का अर्थ है वह गवर्नर जनरल जो इस समय कार्य कर रहा है। संविधान के प्रारम्भ होने पर गवर्नर जनरल का यह पद समाप्त हो जाएगा और उसका स्थान एक अन्य अधिकारी—अस्थायी राष्ट्रपति ग्रहण कर लेगा। अत: आगामी 26 जनवरी को या जो भी तिथि अन्त में तय की जाए, जब नया संविधान लागू होगा, तो परिवर्तन आएगा। चूंकि मंत्री गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और चूंकि वे संवैधानिक रूप से "उसके प्रसाद-पर्यन्त" पद धारण करते हैं, अत: जैसे ही गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है तो उसके प्रसाद या पीड़ा का प्रश्न ही नहीं रहता और इस कारण मंत्री उसके प्रसाद-पर्यन्त पदासीन नहीं रहेंगे। तब किसी और के प्रसाद—उसके उत्तराधिकारी के प्रसाद—की बात आ जाती है। प्रसाद एक वैयक्तिक बात है और यह आवश्यक नहीं कि उसके उत्तराधिकारी का भी वही प्रसाद हो जो उसका है। अत: नया राष्ट्रपति अपने प्रसाद के अनुसार मंत्री नियुक्त या पुनर्नियुक्त करेगा। और जब तक कि उनकी नियुक्ति न हो जाए तब तक पुराने मंत्री ज्यादा से ज्यादा प्रभारी (केअरटेकर) मंत्री के रूप में काम कर सकते हैं।

यह मामला निस्संदेह संवैधानिक औपचारिकता है, परन्तु मैं समझता हूं कि यह मूलभूत महत्व का है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** अध्यक्ष महोदय, यह अनुच्छेद 311-ख एक प्रकार से मात्र औपचारिक अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले विद्यमान मंत्रिमंडल को आगे बनाए रख सके। यह अनुच्छेद उन अनुच्छेदों के समरूप है जो हम लोक सेवा आयोग के सदस्यों और महालेखापरीक्षक के संबंध में पहले ही स्वीकृत कर चुके हैं। अत: वास्तव में इन अनुच्छेदों और इस अनुच्छेद में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। जिन सदस्यों ने इस अनुच्छेद 311-ख के उपबंधों पर विचार व्यक्त किए हैं उनका यदि यह तर्क है कि 26 जनवरी 1950 को कोई मंत्रिमंडल नियुक्त न किया जाए या कार्य न करे जब तक कि उसे राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त न हो, तो मैं इस तर्क को मानने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। परन्तु मैं इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पाया कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत संसद के लिए या मंत्रिमंडल के लिए विश्वास मत प्राप्त करना कैसे असम्भव हो जाता है। यदि संसद सदस्य यह समझते हैं कि वर्तमान मंत्रिमंडल उन कृत्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है जिनका निर्वहन करना इसका कर्तव्य है तो यह सदन 26 जनवरी से पूर्व मंत्रि-परिषद् में विश्वास का अभाव व्यक्त कर सकता है और उसके द्वारा मंत्रि-परिषद् को भंग कर सकता है। इसी तरह प्रधान मंत्री भी अस्थायी राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम प्रस्तुत करने से पहले, सदन से अपने और अपने मंत्रिमंडल के लिए विश्वास का मत प्राप्त कर सकता है। यदि न तो प्रधान मंत्री और न ही सदन अविश्वास का या विश्वास का परीक्षण 26 जनवरी, 1950 से पहले—यह मानते हुए कि संविधान के लागू होने की यही तिथि होगी—करना चाहता हो तो इस अनुच्छेद 311-ख के अन्तर्गत सदन से यह अधिकार छिन नहीं जाता कि

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

वह 26 जनवरी के पश्चात् उस मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये और उसे बर्खास्त कर दे और इस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रधान मंत्री पर भी कोई रोक नहीं है कि वह मंत्रिमंडल की नियुक्ति के पश्चात् अपने और अपने मंत्रिमंडल के लिए विश्वास का मत प्राप्त करे।

अतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन सदस्यों ने अनुच्छेद 311-ख के उपबंधों पर सम्भवतया इस धारणा से टिप्पणियां की हैं कि नये संविधान के अन्तर्गत वर्तमान मंत्रिमंडल को ही बनाये रखने का यह परोक्ष प्रयास है तो वे गलत आशंका में रहे हैं। सदन को इस समय भी और 26 जनवरी के पश्चात् भी इस बात का पूरा अधिकार है कि मंत्रिमंडल के संबंध में जो कार्यवाही वह करना चाहता है उसे करे और यदि वह मंत्रिमंडल को पसन्द नहीं करता तो उसे बर्खास्त कर दे। अतः जैसा मैंने कहा, यह अनुच्छेद औपचारिक मात्र है और राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि वह चाहे तो नये संविधान के लागू होने के बाद मंत्रिमंडल को बना रहने दे सकता है।

***श्री एच.वी. कामतः** माननीय डॉ. अम्बेडकर ने उन बातों का उत्तर नहीं दिया जो मैंने उठाई थीं। पद की शपथ की क्या स्थिति है जिसका मैंने उल्लेख किया था?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** वह निस्संदेह ली जायेगी। "नियुक्ति" का अर्थ है पद की शपथ लेना। अन्यथा कोई नियुक्ति नहीं हो सकती।

***श्री एच.वी. कामतः** उसी दिन?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** जी हां, निश्चय ही, उसी दिन "नियुक्ति' में पद की शपथ लेना सम्मिलित है।

***अध्यक्षः** मैं डॉ. देशमुख का संशोधन सभा के मतदान के लिए रखूंगा—मैं समझता हूं कि प्रस्तावक ने इसे स्वीकार कर लिया है।

प्रश्न यह है:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 13 में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 311-ख में 'Provisional (अस्थायी)' शब्द, जहां कहीं यह प्रयुक्त हुआ है, **निकाल दिया जाए।"**

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रस्तावित अनुच्छेद 311-ख, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 311-ख संशोधित रूप में, संविधान में जोड़ दिया गया।

———————

अनुच्छेद 312

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अनुच्छेद 312 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाए:

Provisions as to provisional Legislature in each State.

'312. (1) Until the House or Houses of the Legislature of each State for the time being specified in Part I of the first Schedule has or have been duly constituted and summoned to meet for the first session under the provisions of this Constitution the House or Houses of the Legislature of the corresponding Province functioning immediately before the commencement of this Constitution shall exercise the powers and perform the duties conferred by the provisions of this Constitution on the House or Houses of the Legislature of such State.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (1) of this article where a general election to reconstitute the Legislative Assembly of a Province was ordered before the commencement of this Constitution the election may be completed after such commencement as if this Constitution has not come into operation and the Assembly so reconstituted shall be deemed to be the Legislative Assembly of that Province for the purposes of that clause.

(3) Any person holding office as Speaker of the Legislative Assembly or President of the Legislative Council of a Province immediately before the commencement of this Constitution shall after such commencement be the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council as the case may be of the corresponding State for the time being specified in Part I of the first schedule while such Assembly or Council functions under clause (1) of this article:

Provided that where general election was ordered for the reconstitution of the Legislative Assembly of a Province before the commencement of this Constitution and the first meeting of the Assembly as so reconstituted is held after such commencement the provisions of this clause shall not apply and the Assembly as reconstituted shall elect a member of the Assembly as the Speaker thereof.'

['312 (1) जब तक प्रथम अनुसूची के भाग 1 में इस समय उल्लिखित प्रत्येक राज्य के विधानमंडल का सदन या के सदन इस संविधान के उपबंधों के अधीन सम्यक रूप से गठित न हो जाएं तथा प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिए आहूत न हो जाए, तब तक इस संविधान के प्रारम्भ में ठीक पहले तत्स्थानी प्रान्त के कृत्यकारी विधानमंडल का सदन, या के सदन, इस संविधान के उपबंधों द्वारा ऐसे राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा या करेंगे।

(2) इस अनुच्छेद के खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कि इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी प्रान्त की विधान सभा के पुनर्गठन के लिए सामान्य निर्वाचन का आदेश दे दिया गया हो, वहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

निर्वाचन इस प्रकार पूरा किया जा सकेगा मानो कि यह संविधान प्रवर्तन में नहीं आया है तथा ऐसी पुनर्गठित सभा उस खण्ड के प्रयोजनों के लिए उस प्रान्त की विधान सभा समझी जाएगी।

(3) कोई व्यक्ति जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले किसी प्रान्त की विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति के रूप में पदस्थ था ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम अनुसूची के भाग 1 में इस समय उल्लिखित तत्स्थानी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति, जो भी स्थिति हो, होगा जब तक कि वह सभा या परिषद् इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के अधीन कृत्य करती है:

परन्तु जहां कि इस संविधान के प्रारम्भ से पहले किसी प्रान्त की विधान सभा के पुनर्गठन के लिए साधारण निर्वाचन का आदेश दे दिया गया हो और इस ऐसी पुनर्गठित सभा का प्रथम अधिवेशन ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् होता है वहां इस खण्ड के उपबंध लागू न होंगे तथा ऐसी पुनर्गठित सभा अपने किसी सदस्य को अपने अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी।' "]

यह उपबंध पूर्णतया स्पष्ट है और मैं समझता हूं कि इनकी व्याख्या करना आवश्यक नहीं है।

***अध्यक्ष:** क्या इसके कोई संशोधन हैं? मैं समझता हूं कि कोई नहीं है।

***श्री महावीर त्यागी:** (संयुक्त प्रान्त: जनरल): महोदय, मैं नहीं समझता कि उपखण्ड (3) की कोई आवश्यकता है। जब हम पहले ही कह चुके हैं कि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् ज्यों कि त्यों बनी रहेगी तो यह आवश्यक नहीं है कि हम यह भी कहें कि सदनों के क्रमश: अध्यक्ष या सभापति भी ज्यों के त्यों रहेंगे, चूंकि वे तो सदनों के साथ ही होते हैं। दूसरे, मैं यह समझता हूं— परन्तु डॉ. अम्बेडकर फिर यह तर्क दे सकते हैं कि मैं चूंकि एक विशेषज्ञ नहीं हूं अत: वह मेरी बात पर ध्यान नहीं दे सकते—कि जिस शब्दावली का प्रयोग किया है उसके अनुसार सदनों के अध्यक्ष और सभापति निरन्तर अपने-अपने पद पर बने रहेंगे। हम उन्हें निरन्तर अपने-अपने पद पर बने रहने की बात क्यों करे? उन्हें अविश्वास व्यक्त करके पद से हटाया जा सकता है, परन्तु हम कहते हैं कि वे अध्यक्ष के रूप में और सभापति के रूप में बने रहेंगे। क्या इसका यह अर्थ नहीं होगा कि उन्हें हटाया ही नहीं जा सकेगा? मैं इस पर और अधिक बल नहीं देना चाहता। मैं केवल इन शब्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं:

"कोई व्यक्ति जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले किसी प्रान्त की विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति के रूप में पदस्थ था ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम अनुसूची के भाग 1 में इस समय उल्लिखित तत्स्थानी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति, जो भी स्थिति हो, होगा..." हम ऐसा क्यों कहें? और फिर—

"...जब तक वह सभा या परिषद् इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के अधीन कृत्य करती है।"

जब तक वे सभाएं और परिषदें कार्य करती रहेंगी तब तक उन विधायी निकायों के अध्यक्ष और सभापति रहेंगे। क्या इसका यह अर्थ नहीं निकाला जाएगा कि यदि सदन उन्हें न भी रखना चाहें और उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को रखना चाहें तो भी वे ऐसा नहीं कर सकेंगे? मेरे मन में केवल यही शंका है जो मैं व्यक्त करना चाहता था।

***माननीय श्री के. सन्तानम** (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, स्पष्टतया मुझे इन संक्रमण कालीन उपबंधों के विषय में आशंका है। इन अस्थायी विधान सभाओं और संसद की कार्यावधि के लिए समय-सीमा निश्चित करने वाला कोई उपबंध नहीं रखा गया है। जब फ्रांस ने युद्ध के पश्चात् संविधान का निर्माण करने के लिए और अस्थायी संसद के रूप में भी कार्य करने के लिए संविधान सभा गठित करने का निश्चय किया तो उन्होंने सात मास की समय-सीमा निर्धारित की थी। उन्होंने कहा था कि "यह सभा सात मास के अन्दर-अन्दर संविधान अधिनियमित करेगी। यदि यह ऐसा न कर सकी तो यह संविधान सभा भंग हो जाएगी और उसका पुनर्निर्वाचन होगा।" यदि इस संविधान सभा का गठन करते समय भी कोई ऐसा ही उपबंध किया गया होता तो मैं समझता हूं कि इस संविधान का निर्माण बहुत पहले हो चुका होता। परन्तु इस संविधान सभा के स्वत: भंग हो जाने के विषय में कोई उपबंध न किये जाने के कारण अब हमने संविधान का निर्माण करने में तीन वर्षों का समय ले लिया है।

मैं नहीं जानता कि तथाकथित अस्थायी संसद और विधान सभाएं निर्वाचन कराने में कितने वर्ष लगा देंगी। मैं समझता हूं कि यदि ये अस्थायी संसद और विधान सभाएं निरंतर बनी रहती हैं तो इससे एक प्रकार का राष्ट्रीय विनाश ही होगा। ऐसा सद्भावना से किया जा सकता है, दुर्भावना से किया जा सकता है, किसी भी कारण किया जा सकता है। हम मानव स्वभाव को जानते हैं और वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होंगे तो इस बात की काफी सम्भावना है कि सदस्यों को यह आशंका रहे कि वे फिर से निर्वाचित नहीं हो सकेंगे, अत: छ: मास के लिए, एक वर्ष के लिये या दो वर्षों के लिए सदस्य बने रहना चाहेंगे।

***श्री आर.के. सिधवा:** मंत्रियों की क्या स्थिति है? क्या उनको आशंका नहीं है?

***माननीय श्री के. सन्तानम:** महोदय, मंत्रीगण संसद पर निर्भर करते हैं। यदि संसद भंग की जाती है तो मंत्री स्वत: ही अपदस्थ हो जाते हैं। मैं यह तर्क नहीं समझ सका कि सदस्य तो बने रहना चाहते हैं और केवल मंत्री ही.....

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती** (मद्रास: जनरल): महोदय, यह कहना सदन के सदस्यों पर आक्षेप करना है कि वे निर्वाचनों से डरते हैं यह आक्षेप है, जो करना आवश्यक नहीं है।

***माननीय श्री के. सन्तानम:** मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो मानव स्वभाव की बात कर रहा हूं। मैं इस सदन के सदस्यों की ही नहीं, बल्कि सब प्रान्तों की विधान सभाओं के सदस्यों की बात कर रहा हूं। मैं यह समझता हूं कि हम यहां भारत के लोगों के संरक्षक हैं और हमें सबसे ज्यादा उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। मैं सिद्धान्त की बात कर रहा हूं। यदि आप किसी निकाय को शक्ति प्रदान करते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि वह उसका प्रयोग नहीं करेगा। समूचा संविधान रोकों एवं सन्तुलनों से भरा पड़ा है। हम

[माननीय श्री के. सन्तानम्]

उच्चतम न्यायालय के माध्यम से भावी संसदों की शक्ति सीमित करना चाहते हैं। हमने इसे सीमित करने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है। परन्तु यहां हम इन अस्थायी विधान सभाओं और संसद को प्रायः अनिश्चितकाल के लिए बने रहने की शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। अतः हमें इस बारे में कुछ उपाय करने होंगे। इन अस्थायी विधान सभाओं की कोई अन्तिम और निश्चित सीमा निर्धारित करने के लिए या तो संविधान में उपबंध कीजिये या संकल्प पारित कीजिये या कोई अन्य उपाय कीजिये जिससे कि भारत के लोगों को पता चले कि वयस्क मताधिकार के अनुसार नई विधान सभाएं एक युक्तिसंगत समय के भीतर गठित हो जायेंगी। मैं समझता हूं कि ऐसा करना आवश्यक है। मैं तो नहीं समझता कि किसी व्यक्ति को इसे वैयक्तिक आक्षेप के रूप में लेना चाहिए, हम ऐसा उपबंध देश के भविष्य के लिए और संविधान के भविष्य के लिए करना चाहते हैं, चूंकि यदि वास्तविक संविधान के लागू होने में अनुचित विलम्ब होता है तो वह पुराना और व्यर्थ हो जाएगा और उससे संवैधानिक अराजकता भी उत्पन्न हो सकती है। मैं ऐसे लम्बे अन्तराल या अराजकता की स्थिति को रोकना चाहता हूं।

अतः मैं उत्सुक हूं कि जिस संविधान का हमने निर्माण किया है यह 26 जनवरी को संविधान के प्रारम्भ से छः मास की अवधि में या अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि में पूरी तरह अस्तित्व में आ जाए। हमें भारत के लोगों को इस प्रकार का आश्वासन देना ही होगा कि 26 जनवरी, 1951 तक या किसी ऐसी तिथि तक नया संविधान प्रवृत्त हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि यह ऐसा मामला है जिसके बारे में इस सदन का प्रत्येक सदस्य उतना ही उत्सुक है जितना कि मैं हूं। अतः मैं आशा करता हूं कि कोई भी सदस्य मेरे कथन को किन्हीं लोगों या लोगों के समूह पर वैयक्तिक आक्षेप के रूप में नहीं लेगा। मैं श्री भारती से पूछना चाहूंगा कि जिस आश्वासन का मैं उल्लेख कर रहा हूं क्या वह आश्वासन भारत के लोगों को देना उनका कर्तव्य नहीं है। मुझे आशा है कि उस आश्वासन को देने में वह भी मेरे सहयोगी होंगे।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारतीः** महोदय, क्या मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर दिला सकता हूं कि मैंने इसी सदन में निवेदन किया था कि निर्वाचन यथासम्भव शीघ्र होने चाहिये?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र श्री सन्थानम ने प्रश्न के इस पहलू की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नयी विधान सभाएं कितने समय पश्चात् सत्ता में आ जाएंगी। यह बात बिल्कुल सही है कि यदि हम ऐसी व्यवस्था संविधान में नहीं करते सो हम निरन्तर अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, यद्यपि मुझे विश्वास है कि यह सदन ऐसा नहीं करेगा। हम इस आशय का एक संकल्प पारित कर चुके हैं कि वर्ष 1950 में हम निर्वाचन अवश्य करायेंगे। फिर भी वह मात्र एक प्रकार का परामर्श है। इस संविधान में एक समय-सीमा निर्धारित की ही जानी चाहिए। मेरे माननीय मित्र ने एक वर्ष के समय का सुझाव दिया है। परन्तु यह सब इस बात पर निर्भर कता है कि हमारी वर्तमान सरकार और जो नया मंत्रिमंडल हम नियुक्त करते हैं वह कितनी जल्दी निर्वाचन करा सकेंगे और संसद को पूर्ण बना सकेंगे। जो भी समय निर्धारित किया जाए, कोई अधिकतम सीमा अवश्य होनी चाहिए, एक वर्ष हो, डेढ वर्ष हो या अधिक से अधिक दो वर्ष हो। उन दो वर्षों की अवधि में नयी संसद और नये विधानमंडल अवश्य निर्वाचित होने चाहिएं। यदि

हम संविधान में इस आशय का उपबंध नहीं रखना चाहते तो हमें एक संकल्प पारित करना चाहिए जिसमें ऐसी व्यवस्था हो कि अमुक तिथि तक नई संसद का निर्वाचन हो जाएगा। देश के साथ और लोगों के साथ अन्याय होगा यदि उन्हें ज्ञात ही न हो कि कब तक...

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस आशय के संशोधन के अभाव में, मैं नहीं समझता कि इन टिप्पणियों का कोई परिणाम निकल सकता है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** मेरे माननीय मित्र श्री सन्थानम ने सुझाव दिया.....

***अध्यक्षः** माननीय सदस्य को पेश किये गए संशोधन पर सामान्य रूप से बोलने का अधिकार है। उन्होंने संशोधन से ही वह निष्कर्ष निकाला है और वह उस पर टिप्पणी कर रहे हैं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** इस अनुच्छेद 312 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि विधानमंडलों का कार्यकाल कब समाप्त होगा। यदि आप ध्यान से इस अनुच्छेद को देखें तो इसमें कहा गया है कि वे स्वतः ही नये विधानमंडल बन जाएंगे। आपने उनके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है। वे सदैव बने रह सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि श्री सन्थानम ने सही प्रश्न उठाया है। हमें कोई समय-सीमा निर्धारित करनी ही चाहिए, चाहे संविधान में करें—और मैं समझता हूं कि ऐसा व्यवहार करना बेहतर होगा—चाहे किसी संकल्प द्वारा करें, जिससे कि उस समय-सीमा के समाप्त होने पर इन विधानमंडलों के पास कोई अधिकार न रह जाए और उनके स्थान पर नये विधानमंडल अस्तित्व में आएं। ऐसा करना न केवल संवैधानिक दृष्टि से आवश्यक है, अपितु देश के लोगों के लिए भी आवश्यक है, चूंकि वे कह सकते हैं कि इसमें विलम्ब होगा, इत्यादि, इत्यादि। यहां कोई समय-सीमा अवश्य निर्धारित की जानी चाहिए जिससे इस हेतु एक प्रकार से प्रोत्साहन मिलेगा कि ये विधानमंडल यथासम्भव शीघ्र अस्तित्व में लाए जाएं। मैं कह नहीं सकता कि समय-सीमा क्या हो, एक वर्ष, डेढ़ वर्ष या दो वर्षों की सीमा निर्धारित की जा सकती है। हाल ही में, नये राज्य संघ बनाए गए हैं। और वहां प्रबन्ध करने के लिए एक वर्ष की कालावधि अपर्याप्त हो सकती है। कुछ भी हो, कालावधि दो वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। दो वर्षों के अन्त में, हमारे देश में नई संसद और प्रत्येक राज्य का नया विधानमंडल अवश्य बने।

***श्री बी. दास** (उड़ीसाः जनरल): महोदय, मुझे अपने माननीय मित्र श्री सन्थानम का यह विचार सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि संविधान एक निश्चित तिथि तक लागू हो जाना चाहिए। मेरा अपने कांग्रेस मंत्रिमंडल का यह अनुभव रहा है कि वे निर्धारित समय का पालन नहीं करते। उन्होंने उन उत्तरदायित्वों को निभाने से बचने का प्रयास किया है जो इस सदन के या संसद के नहीं अपितु मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व हैं। मान लीजिए हम जनवरी, 1951 की समय-सीमा निर्धारित करते हैं तो मंत्रिमंडल के मंत्रियों और प्रान्तों में मंत्रियों का कर्तव्य हो जाएगा कि वे निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन कराएं और मतदाता सूचियां तैयार कराएं। क्या मेरे माननीय मित्र श्री सन्थानम या यहां उपस्थित मंत्रिमंडल का कोई अन्य सदस्य मुझे बता सकता है कि इस माननीय सदन की इच्छाओं का पालन करने के लिए उन्होंने कहां तक प्रगति की है? हम, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, देश की जागरूक लोकतांत्रिक राय व्यक्त करनी होती है। हमने प्रारूप संविधान के उन संवैधानिक पहलुओं को कार्य रूप देने के लिए इन मंत्रिमंडलीय मंत्रियों को और इनके सहयोगियों को कार्यपालिका के रूप में नियुक्त किया है। यदि वे अपने कर्तव्यों

[श्री बी. दास]

का पालन नहीं करते तो विधान सभाओं को भंग करने हेतु एक निश्चित तिथि निर्धारित करने के लिए इस सदन को कहने का कोई उपयोग नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूं। मान लीजिए 1 जनवरी, 1951 की तिथि निर्धारित कर दी जाती है और मान लीजिए कार्यपालिका, चाहे वह हमारा अपना कांग्रेस मंत्रिमंडल हो या प्रांतों के मंत्रिमंडल हों, इस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करती तो क्या मेरे माननीय मित्र श्री सन्थानम या यहां उपस्थित अन्य मंत्री हमें बताएंगे कि इस संविधान में या उस संकल्प में, जो अन्त में इस सदन को पारित करना होगा, कैसे व्यवस्था की जाए कि यहां के मंत्रिमंडल को और प्रांतों के मंत्रिमंडल को ऐसे आदर्शों का पालन करना ही होगा? मैं घोड़े को पानी तक तो ले जा सकता हूं परन्तु मैं उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। लोग मंत्री तो नियुक्त कर सकते हैं, परन्तु मंत्रियों को ही वे समस्याएं हल करनी होंगी जिनके लिए उन्हें भारत सरकार के कार्यपालिका प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार की और प्रांतीय मंत्रियों की अतीत की परम्पराओं से इस बात का पता नहीं चलता कि वे लोकतंत्र के लिए सब कुछ जल्दी-जल्दी करना चाहते हों। मैं किसी मंत्री पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं यह अवश्य कहता हूं कि 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् गरीबी दूर करने के लिए, सामाजिक न्याय करने के लिए, उनके सामूहिक काम से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वे इस संविधान में समाविष्ट उन लोकतांत्रिक सिद्धांन्तों को कार्य रूप देने के लिए बहुत उत्सुक रहे हों। यह काम सरकार और मंत्रिमंडल के सदस्यों और उनके सहयोगी अन्य मंत्रियों का है कि वे इस विषय पर विचार-विमर्श करके एक संकल्प लाएं जिस पर यह सदन पूरी सहानुभूति से विचार करेगा। मेरी इच्छा तो यह है कि यह सदन 26 जनवरी, 1950 को भंग कर दिया जाए, परन्तु मुझे विश्वास नहीं है, और मैं नहीं समझता कि वर्तमान मंत्रिमंडल ने और उनके सहयोगी अन्य मंत्रियों ने इस संविधान को कार्य रूप देने सम्बंधी समस्याओं पर विचार किया है। सदन के भीतर और बाहर यह दायित्व मंत्रिमंडलीय मंत्रियों का है, न कि इस सदन के सदस्यों का। परन्तु मैं उनका इस बात पर समर्थन करने के लिए तैयार हूं कि सदन ऐसे संकल्प पर विचार करे और उसे पारित करें कि संविधान को कार्य रूप देने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। उसका उत्तरदायित्व, उसे कार्य रूप देने का उत्तरदायित्व, यहां के और प्रांतों के मंत्रिमंडलों के सदस्यों का है, न कि हमारा या इस लोकतांत्रिक सदन का।

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों में हमारी रेलगाड़ियों की, यहां तक कि प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस की भी गति तेज हो जाने के साथ यही उचित था कि हमारे रेल राज्यमंत्री श्री सन्थानम सदन के समक्ष आएं और संविधान निर्माण की गति तेज करने के लिए कहें। यह अनिवार्य है, यह बहुत वांछनीय है कि वह ऐसा करें। परन्तु वह भी यह बात भूल नहीं सकते कि ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस आज भी निर्धारित समय के अनुसार नहीं चलती। पिछले इतवार जब मैं यहां पहुंचा तो ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस साढ़े पांच या छः घण्टे देर से चल रही थी।

***एक माननीय सदस्यः** पंजाब मेल भी।

***श्री एच.वी. कामतः** पंजाब मेल के बारे में तो मैं जानता नहीं, ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस निर्धारित समय से 6 घंटे पीछे चल रही थी, मैं 8.10 या 8.15 बजे की बजाय 2.30 बजे पहुंचा था।

***माननीय श्री के. सन्थानमः** माननीय सदस्य को याद होगा कि बाढ़ आई हुई थी।

***श्री आर.के. सिधवाः** नये इंजनों वाली गाड़ियां लेट हो जाती हैं।

***अध्यक्षः** मैं आशा करता हूं कि सदस्य बाढ़, रेलों के देरी से चलने और देरी से पहुंचने की चर्चा न करके, अपनी बात को संविधान तक सीमित रखेंगे।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं उसी बात पर आ रहा था। मेरे माननीय मित्र श्री सन्थानम ने जो प्रश्न उठाया है.....

***अध्यक्षः** उन्होंने रेलों के समय और बाढ़ का प्रश्न नहीं उठाया।

***श्री एच.वी. कामतः** महोदय, मुझे आशा है कि जो उदाहरण मैंने दिया है वह आप समझ गये होंगे। मैं यह बात करना चाहता था कि हम अपने मन में निश्चय कर लेते हैं और बहुत अच्छे संकल्प भी पारित कर लेते हैं परन्तु कहीं न कहीं किसी न किसी कारण बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मैं सदन को स्मरण करा दूं कि संसार में ऐसी श्रेष्ठ शक्तियां भी हैं जो जन-जीवन की भाग्य-निर्माता हैं। मैं चाहता हूं कि राज्यमंत्री के नाते श्री सन्थानम यह बात ध्यान में रखें कि इस विशाल जगत में कहीं कुछ भी हो सकता है जिससे हमारी सब योजनाएं धरी-धराई रह सकती हैं। मान लीजिए—ईश्वर न करे—कल यूरोप में युद्ध छिड़ जाए, तब संविधान के अध्याय 11 के अन्तर्गत सब उपबंध स्थगित कर दिये जायेंगे और निर्वाचन नहीं होंगे। फिर, मान लीजिए कि देश में गड़बड़ हो जाती है या पुनरुत्थान हो जाता है, आपातकाल की घोषणा हो जाती है, तब राष्ट्रपति सब शक्तियां अपने हाथ में ले लेंगे।

मेरी शीघ्र निर्वाचन कराये जाने की इच्छा किसी से भी कम नहीं है। यदि आवश्यक हो तो आगामी फरवरी मास में निर्वाचन करा लीजिए, परन्तु निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होने चाहिएं, न कि "कैबिनेट मिशन" की पुरानी योजना के अनुसार। हमने गत वर्ष संकल्प पारित करके कहा था कि मतदाता सूचियां यथासम्भव शीघ्र तैयार की जाएं ताकि 1950 में निर्वाचन कराए जा सकें। क्या हमने शब्द एवं भावना में उस संकल्प को कार्यान्वित किया है? प्रान्तों तथा रियासतों की सरकारों ने मतदाता सूचियां तैयार करने के इस कार्य में कितनी प्रगति की है? पूर्व इसके कि श्री सन्थानम संविधान के अन्तर्गत निर्वाचनों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने की बात कहें, उन्हें इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहिए। मैं इस सभा को भंग करने के विरुद्ध नहीं हूं, परन्तु 1946 की पुरानी योजना के अनुसार निर्वाचन कराने का क्या उपयोग है? यदि निर्वाचन कराए जाने हैं तो वे निश्चय ही नये संविधान के अन्तर्गत होने चाहिएं।

***अध्यक्षः** श्री सन्थानम ने पुरानी योजना की बात नहीं सोची।

***श्री एच.वी. कामतः** उन्होंने सदन को भंग करने और फिर से निर्वाचन कराने की बात कही है।

***अध्यक्षः** "कैबिनेट मिशन" योजना के अंतर्गत नहीं।

***श्री एच.वी. कामतः** मुझे खेद है, महोदय। तब तो एक ही मार्ग है और वह है इस संविधान के अंतर्गत निर्वाचन कराने का, जिससे मैं सहमत हूं परन्तु इससे जो कठिनाइयां उत्पन्न होंगी उन्हें ध्यान में रखते हुए क्या उन्हें अपने मन में विश्वास है कि यदि हम समय-सीमा निर्धारित करते हैं तो हम निर्वाचन करा सकेंगे? हम एक संकल्प पारित करके विभिन्न सरकारों को निर्देश दे सकते हैं कि वे निर्वाचन के लिए तैयारियां कर लें। श्री सन्थानम ने फ्रांस के संविधान का

[श्री एच.वी. कामत]

उल्लेख किया। मैंने फ्रांस के नवीनतम संविधान का तो अध्ययन नहीं किया परन्तु मैं उन्हें बता सकता हूं कि बॉन संविधान में और इटली के नवीनतम संविधान में नए संविधान के अन्तर्गत निर्वाचन कराने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं कर गई है।

जहां तक श्री त्यागी द्वारा उठाये गये प्रश्न का संबंध है, मैं उनसे सहमत हूं कि इस अनुच्छेद में खण्ड (3) का समावेश करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने आदतन इसे सम्मिलत कर लिया है। क्या मैं डॉ. अम्बेडकर को और प्रारूप समिति को बता सकता हूं कि भाग छः के अध्याय 3 में राज्य विधानमंडलों का उल्लेख है? वह मुख्य शीर्षक है और राज्य विधानमंडल के अधिकारियों के विषय में उसका एक भाग है—एक उप-अध्याय। जब हम राज्य के सम्पूर्ण विधानमंडल की निरंतरता को अन्तरिम रूप से बनाये रखने के लिए उपबन्ध कर रहे हैं तो क्या विशेष रूप से अध्यक्ष का उल्लेख करने में कोई सार्थकता है, और यदि प्रारूप समिति और डॉ. अम्बेडकर ऐसा करना आवश्यक समझते हैं तो डिप्टी स्पीकर और उपरि सदन के डिप्टी प्रेजीडेंट का भी उल्लेख क्यों न किया जाए? भाग छः के अध्याय 3 में उनका उल्लेख किया गया है। अन्यथा इनको पूर्णतया हटा दिया जाए चूंकि ये सब समूचे रूप में विधानमंडल के अंग हैं और इस अनुच्छेद 312 के खण्ड (1) और खण्ड (2) में समूचे रूप में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है, अतः अन्य सब कुछ यहां तक कि कार्य-संचालन आदि भी इस अध्याय 3 के अंग हैं। यदि इस खण्ड को आवश्यक माना जाता है तो सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के लिए भी यह कह कर कि वे संविधान के प्रारम्भ से पहले की भांति विद्यमान रहेंगी या इसी प्रकार की कोई अन्य बात कहकर उपबन्ध में क्यों नहीं किया जाए। अतः मेरा सुझाव है कि खण्ड (3) को हटा दिया जाए।

***अध्यक्षः** श्री भारती, बेहतर है कि आप इस विषय पर थोड़ा ही बोलें चूंकि यह वास्तव में प्रस्तुत अनुच्छेद से उत्पन्न नहीं होता।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारतीः** बहुत अच्छा, महोदय मेरा बोलने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं संक्षेप में आपके और माननीय सदन के ध्यान में यह बात लाऊंगा कि हमने क्या किया है। क्या श्री सन्थानम का दृष्टिकोण यह है कि यदि हम एक निश्चित तिथि निर्धारित नहीं करते तो यह धारणा बन सकती है कि सम्भवतया यह सदन निरन्तर बना रहना चाहता है और निर्वाचन कराने में विलम्ब करना चाहता है, जिसके भीषण परिणाम हो सकते हैं। मैं यह बात आपके और इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह सदन माननीय पंडत नेहरू द्वारा 8 जनवरी, 1949 को पेश किये गये एक संकल्प को पहले ही पारित कर चुका है, जब वाइस प्रेजीडेंट पीठासीन थे। मैं मामले के इस पहलू की ओर ही ध्यान आकर्षित करना चाहता था। संकल्प का पाठ इस प्रकार हैः

> "संकल्प किया जाता है कि मतदाता सूचियां तैयार करने और सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों को तुरन्त अनुदेश जारी किए जाएं ताकि नये संविधान के अन्तर्गत विधानमंडलों के निर्वाचन वर्ष 1950 में यथासम्भव शीघ्र हो सकें।"

8 जनवरी, 1949 को यह संकल्प हमने पारित किया था। इस संकल्प पर बोलते हुए डॉ. अम्बेडकर ने इस संकल्प के विस्तार का स्पष्ट उल्लेख किया है। मैं उसका केवल एक अंश पढ़कर सुनाऊंगाः

"इस संकल्प का उद्देश्य केवल यह घोषणा करना है कि इस सभा का इरादा यह है कि जहां तक सम्भव हो निर्वाचन वर्ष 1950 में किसी समय हों, परन्तु संकल्प का वास्तविक उद्देश्य यह है कि मतदाता सूचियां, जो सब निर्वाचनों का आधार होती हैं, तैयार करने वाले प्रभारी प्राधिकारियों को कुछ ठोस निर्देश दिये जाएं। मात्र यह घोषणा करना निरर्थक एवं उद्देश्यहीन होगा कि इस संविधान सभा की इच्छा है कि निर्वाचन 1950 में होने चाहिए, इत्यादि।"

अतः हम यह संकल्प पहले ही पारित कर चुके हैं और मैं नहीं सोच सकता कि श्री सन्थानम समझते हैं कि यह संकल्प नाम के लिए ही पारित किया गया है और इसे कार्य रूप देने का कोई इरादा नहीं है। मैं समझता हूं कि वह ऐसा नहीं सोचते। इस सभा ने यही सोचकर यह संकल्प पारित किया है कि यथासम्भव शीघ्र निर्वाचन कराए जाएं। मैं केवल इसलिए चिन्तित हूं कि बाहर यह धारणा न बने कि यह सभा किसी न किसी तरह अपना अस्तित्व निरन्तर बनाए रखना चाहेगी। हमारे मन में यह बात कभी नहीं आनी चाहिए कि निर्वाचन कराने में उस समय से एक मिनट भी विलम्ब हो जो परिस्थितियों के अनुसार पूर्णतया आवश्यक हो जाये, परन्तु यह व्यावहारिक कठिनाई तो है ही। मान लीजिए हम एक तिथि निर्धारित कर देते हैं, उसका क्या अर्थ है? यदि किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हम निर्वाचन नहीं करा सके तो हम क्या करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि यह नहीं समझा जाना चाहिए कि कोई तिथि निर्धारित नहीं करने का अर्थ है कि यह सभा अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है। पहले ही हम संकल्प पारित कर चुके हैं और हम इसके अनुसार कार्य करना चाहते हैं और इस सभा का यही इरादा है कि निर्वाचन यथासम्भव शीघ्र कराए जाएं। महोदय, मैं केवल यही बात सदन के ध्यान में लाना चाहता था।

***अध्यक्षः** मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न पर चर्चा जारी रखना आवश्यक है। यदि मुझे यह सूचना मिली होती कि यह प्रश्न उठाया जाएगा तो मैं इस बारे में उठाये गये कदमों के विषय में अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर लेता और यदि सम्भव हुआ तो आज नहीं तो कल, मैं इस बारे में एक रिपोर्ट सभा के समक्ष रखूंगा जिसमें दर्शाया गया हो कि मतदाता सूचियां तैयार करने और निर्वाचनों सम्बन्धी अन्य मामलों के विषय में क्या कदम उठाए जा चुके हैं और कितनी प्रगति हो चुकी है। जैसा कि बताया जा चुका है, इस सभा ने इस आशय का संकल्प पारित किया है कि इस दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए और संविधान सभा सचिवालय इस विषय में उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार करता रहा है और कदम निस्संदेह उठाए गए हैं। मेरी केवल यही इच्छा है कि माननीय सदस्य यह याद रखें कि हमने वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने का निश्चय किया है और यदि हम सोचें कि इसका निहित अर्थ क्या है तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि यह काम कितना बड़ा है। हमारी इस समय जितनी जनसंख्या है और मतदाताओं के पंजीयन पर आधारित जो जानकारी हमारे पास है उससे पता चलता है कि हमारी मतदाता सूचियों में 17 करोड़ और 18 करोड़ के बीच नाम होंगे। इतनी बड़ी मतदाता सूचियों के मुद्रण का ही काम बहुत बड़ा काम है जिसे करने में, इतना बड़ा काम करने वाले मुद्रणालयों का पता लगाने में हमारी सरकारों को काफी कठिनाई आ रही है। मैं स्वयं एक दिन हिसाब लगा रहा था कि सभी प्रांतों के लिए मतदाता सूचियों का आकार-प्रकार कितना बड़ा होगा और मैंने देखा कि वह लगभग तीन चौथाई फरलांग बैठेगी। यदि हम इस तथ्य को ध्यान में रखें तो आप मानेंगे कि यदि इस काम में विलम्ब होता है तो वह प्रान्तीय या केन्द्रीय सरकार द्वारा जानबूझ कर किया हुआ नहीं होगा अपितु इसलिए होगा कि यह काम ही इतना बड़ा है।

[अध्यक्ष]

मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर सभी प्रकार की अटकलबाजियां इससे समाप्त हो जानी चाहिए। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं और वर्तमान परामर्श के अनुसार जो सूचना हमें प्रांतों से प्राप्त हुई है उससे हमें आशा हो गई है कि निर्वाचन 1950-51 की शरद ऋतु के दौरान, अर्थात् नवम्बर 1950 और फरवरी या मार्च 1951 के दौरान किसी समय होंगे। हम यही आशा करते हैं। परन्तु यदि अप्रत्याशित कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि हमें उस समय क्या करना पड़े।

***श्री आर.के. सिधवा:** महोदय, जो कुछ आपने कहा है कि उसके पश्चात् मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता। परन्तु मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि श्री सन्थानम ने जो कुछ कहा है उससे इस सदन से बाहर जनता के मन में बहुत बुरी धारणा बन सकती है। अत: महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि श्री सन्थानम को, जो एक जिम्मेदार मन्त्री हैं, इतने उत्तरदायी ढंग से नहीं बोलना चाहिए था। इस संविधान सभा के पश्चात् निर्वाचन की तिथि कौन निर्धारित करेगा? तब मंत्रिमंडल यह कार्य करेगा। वह छ: माह पश्चात् तिथि निर्धारित करे, परन्तु इसका निर्णय उन्हें करना होगा और उनके लिए यह कहना उचित नहीं है कि सदन अपना कार्यकाल निरन्तर बनाए रखना चाहता है। महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने इस बारे में काफी रुचि लेकर कहा है कि निर्वाचन यथासम्भव शीघ्र होंगे। मुझे यह बात कहनी पड़ी ताकि ऐसा न हो कि श्री सन्थानम के कथन से गलत धारणा बन जाए। मुझे बड़ा खेद है कि उन्होंने इस प्रकार की बात कही।

***अध्यक्ष:** मैं तो नहीं समझता कि उन्होंने ऐसा कहा है। मैं नहीं समझता कि यह टिप्पणी न्यायोचित है। मैं इस पर आगे चर्चा करना नहीं चाहता। मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक है। यदि कोई सदस्य अनुच्छेद के विषय में बोलना चाहे तो वह बोल सकता है।

***श्री एम. अनन्तशयनम आयंगर** (मद्रास: जनरल): महोदय, वर्तमान विधानमंडलों के सदन या सदनों को बनाये रखने के लिए विस्तृत उपबंध किए गए हैं और मंत्री नियुक्त करने के लिए उपबंध हैं। परन्तु इस संक्रमण-काल में, यदि आवश्यक हो जाए तो, किसी सदन को भंग करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। महोदय, किसी सदन को भंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है और उस दृष्टि से श्री सन्थानम द्वारा दिया गया सुझाव बहुत आवश्यक हो जाता है। क्या कोई यह चाहेगा कि इस सभा का कार्यकाल आगे बढ़े? जी, नहीं। परन्तु ऐसे किसी उपबंध के अभाव को देखते हुए.....

***श्री आर.के. सिधवा:** महोदय, आपने कहा है कि इस प्रश्न पर और चर्चा नहीं होनी चाहिए तो क्या यह संगत है?

***श्री एम. अनन्तशयनम आयंगर:** मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि विधानमंडलों के वर्तमान सदनों को भंग करने के लिए कोई उपबंध नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री सिधवा ने यह कहने के लिए कि यह संगत है या नहीं है अध्यक्ष महोदय की जगह ले ली है। मैं तो केवल विधानमंडलों को भंग करने के लिए उपबंधों के न होने की बात कह रहा था। यदि सदन तीन या चार वर्षों तक चलता है तो आवश्यकता पड़ने पर इसको भंग करने के लिए भी कोई उपबंध होना चाहिए। अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में गंभीरता

से विचार करें। क्या हमें वर्तमान सदनों को अधिक अवधि के लिए और सदा के लिए बने रहने का अधिकार देना है, चाहे ऐसा देश के हित में न हो? अनेक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जब सदस्यों को लिए मतदाओं का मत प्राप्त करना आवश्यक हो जाए। उदाहरण के लिए जिन प्रान्तों में मद्यनिषेध लागू नहीं है वहां इसे लागू करने का प्रश्न हो सकता है। या कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो सकता है जिस पर हमें मतदाताओं का मत प्राप्त करना आवश्यक हो। तब क्या स्थिति होगी? यह एक कमी है जिसे दूर किया जाना चाहिए। मैं अब भी आग्रह करूंगा कि अभी समय है कि हम वर्तमान सदनों को भंग करने के बारे में उपबंध कर लें।

जहां तक विशेषाधिकारों का संबंध है जिसका मेरे मित्र ने उल्लेख किया है, मैं समझता हूं कि कार्य क्षेत्र, विषय-वस्तु इत्यादि के सम्बंध में वर्तमान सदनों का कार्य वर्तमान उपबन्धों के अनुसार चलता और विनियमित होता रहेगा। यह उन सूचियों के अनुसार होगा जो इस संविधान के साथ संलग्न हैं। विषय-वस्तु, कार्य-क्षेत्र और अन्य सभी क्रियाकलापों के विषय में तथा जिन नियमों एवं विनियमों के अनुसार वे कार्य करते हैं उनके विषय में संविधान के उपबन्ध लागू होंगे। अतः पहले की धाराओं में संसद सदस्यों को जो भी विशेषाधिकार हमने प्रदान किए हैं वे संसद सदस्यों को प्राप्त होंगे। एक ही अपवाद है कि संक्रमण-काल में निर्वाचन नहीं होंगे। संसद में प्रक्रिया संबंधी तथा प्रांतों में विधान-मंडलों की शक्तियों संबंधी अन्य सभी उपबंधों का विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों आदि द्वारा होगा।

***पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्र** (पश्चिम बंगाल: जनरल): महोदय, मैं चाहता हूं कि एक बात स्पष्ट की जाए माननीय सदस्य कौन से सदन को भंग करने की बात कर रहे हैं?

***श्री एम. अनन्तशयनम आयंगर:** मैं विधानमंडल के सदन या सदनों को भंग करने की बात कर रहा हूं। कभी गम्भीर मतभेद हो सकते हैं कि देश के लोगों का मत प्राप्त करना पड़े। प्रधानमंत्री या गवर्नर विधानमंडल को भंग कर सकता है जिससे कि किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में लोगों का मत प्राप्त किया जा सके।

***पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्र:** क्या माननीय सदस्य के कहने का तात्पर्य यह है कि संक्रमण-काल में मतदाताओं को किसी विशिष्ट विषय पर अपना मत देने का अवसर मिलना चाहिए?

***श्री एम. अनन्तशयनम आयंगर:** जी हां।

***पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्र:** संक्रमण-काल में भी? और सामान्य निर्वाचन भी हों? यह अनर्गल है।

***श्री अनन्तशयनम आयंगर:** यह इस पर निर्भर करता है कि संक्रमण-काल कितने समय तक रहता है। यदि थोड़ा रहता है तो हो सकता है कि विधानमंडल भंग करना आवश्यक ही न हो। परन्तु यदि संक्रमण-काल लम्बा हो तो क्या होगा? हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्तमान सदस्य संसद या विधायक बने रहने के लिए उत्सुक होगा और प्रत्येक व्यक्ति जिसे अवसर नहीं मिला वह चाहेगा कि सदन भंग हो और उसे अवसर मिले। मैं किसी विशेष पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मेरा तो इतना ही कहना है कि जिन परिस्थितियों का मैंने उल्लेख किया है उनमें कोई ऐसा उपबंध अवश्य होना चाहिए ताकि, यदि आवश्यक हो तो, विधान सभा को बदलने और मतदाताओं का मत प्राप्त करने का अवसर मिले।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** महोदय, आपने जो कुछ कह दिया उसके पश्चात् मैं नहीं समझता कि मेरे लिए आगे कुछ कहना आवश्यक है। जहां तक संशोधित अनुच्छेद के गुण-दोषों का सम्बन्ध है इस बारे में मुझे कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि किसी सदस्य ने कुछ कहा ही नहीं है।

***श्री एच.वी. कामतः** "स्पीकर" सम्बन्धी खण्ड की क्या स्थिति है?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** वह तो मूल प्रारूप में ही था।

***अध्यक्षः** अब मैं अनुच्छेद 312 सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है:

"कि प्रस्तावित अनुच्छेद 312 संविधान का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 312 संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 312-क से 312ङ, 312-छ और 312-ज

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अनुच्छेद 312 के पश्चात् निम्नलिखित नये अनुच्छेद रखे जाएं:

Provisions as to provisional Governor of Provinces.

'312A. Any person holding office as Governor in any Province immediately before the commencement of this Constitution shall after such commencement be the provisional Governor of the corresponding State for the time being specified in Part I of the First Schedule until a new Governor has been appointed in accordance with the provisions of Chapter II of Part VI of this Constitution and has entered upon his office.

Council of Ministers of Provisional Governors.

312B. Such persons as the provisional Governor of a State may appoint in this behalf shall become members of the Council of Ministers of the provisional Governor under this Constitution and until appointments are so made all persons holding office as Ministers for the corresponding State immediately before the commencement of this Constitution shall become and shall continue to hold office as members of the Council of Ministers of the provisional Governor of the State under this Constitution.

Provisions as to provisional Legislatures in States in Part III of the First Schedule.

312C. Until the House or Houses of the Legislature of a State for the time being specified in Part III of the First Schedule has or have been duly constituted and summoned to meet for the first session under the provisions of this Constitution the body or authority functioning immediately before such commencement as the

Legislature of the corresponding Indian State shall exercise the power and perform the duties conferred by the provisions of this Constitution on the House or Houses of the Legislature of the State so specified.

Council of Ministers for States in Part III of the First Schedule.

312D. Such persons as the Rajpramukh of a State for the time being specified in Part III of the First Schedule may appoint in this behalf shall become members of the Council of Ministers of such Rajpramukh under this Constitution and until appointments are so made all persons holding office as Ministers immediately before the commencement of this Constitution in the corresponding Indian State shall become and shall continue to hold office as members of the Council of Ministers of such Rajpramukh under this Constitution.

प्रान्तों के अस्थायी राज्यपालों के बारे में उपबंध

['312क. इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले जो व्यक्ति किसी प्रान्त में राज्यपाल के रूप में पदस्थ है वह ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम अनुसूची के भाग 1 में इस समय उल्लिखित तत्स्थानी राज्य का अस्थायी राज्यपाल तब तक होगा जब तक कि इस संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 के उपबंधों के अनुसार नया राज्यपाल नियुक्त न हो गया हो और उसने अपना पद ग्रहण न कर लिया हो।

अस्थायी राज्यपालों की मंत्रिपरिषद

312ख. ऐसे व्यक्ति, जिन्हें किसी राज्य का अस्थायी राज्यपाल इस हेतु नियुक्त करे, इस संविधान के अधीन अस्थायी राज्यपाल की मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार की जायें तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी राज्य के लिए मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति इस संविधान के अधीन उस राज्य के अस्थायी राज्यपाल की मंत्रिपरिषद् के सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे।

प्रथम अनुसूची के भाग 3 में राज्यों में अस्थायी विधान-मंडलों के बारे में उपबंध

312ग. जब तक प्रथम अनुसूची के भाग 3 में इस समय उल्लिखित राज्य के विधानमंडल का सदन या के सदन इस संविधान के उपबन्धों के अधीन सम्यक रूप से गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिए आहुत न हो जायें तब तक वह निकाय या प्राधिकारी जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी देशी राज्य के विधानमंडल के रूप में कृत्यकारी था, इस प्रकार उल्लिखित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को इस संविधान के उपबंधों द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा।

प्रथम अनुसूची के भाग 3 में राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद

312घ. ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रथम अनुसूची के भाग 3 में इस समय उल्लिखित किसी राज्य का राज्यप्रमुख इस हेतु नियुक्त करे, इस संविधान के अधीन ऐसे राजप्रमुख की मंत्रिपरिषद् के सदस्य होंगे तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार की न जायें तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी देशी राज्य के लिए मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति इस संविधान के अधीन ऐसे राजप्रमुख की मंत्रिपरिषद् के सदस्य हो जायेंगे तथा इस रूप में पदस्थ बने रहेंगे।' "]

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

अनुच्छेद 312-ड. के स्थान पर मैं संशोधन संख्या 21 का प्रस्ताव करता हूं:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 16 में प्रस्तावित नये अनुच्छेद 312-ड. के स्थान पर यह रखा जाए–

Provision as to Bill pending in the dominion Legislature and in the Legislatures of Provinces and Indian States.

'312E. For the purposes of elections held under any of the provisions of this Constitution during a period of three years from the commencement of this Constitution, the population of India or any Part thereof may not-withstanding anything contained in this Constitution be determined in such manner as the President may by order direct.'

312G. A Bill which immediately before the commencement of this Constitution was pending in the Legislature of the Dominion of India or in the Legislature of any Province or Indian State may subject to any provision to the contrary, which may be included in rules made by Parliament or the Legislature of the corresponding State under this Constitution be continued in Parliament or the Legislature of the corresponding State as the case may be as if the proceedings taken which reference to the Bill in the Cominion Legislature or in the Legislature of the Province or Indian State had been taken in Parliament or the Legislature of the corresponding State.

Transactions occurring between the commencement of the Constitution and 31st of March 1950.

312H. The provisions of this Constitution relating to the Consolidated Fund of India or of any State and appropriation of moneys out of such fund shall not apply in relation to moneys received or raised or expenditure incurred by the Government of India or the Government of any State between the commencement of this Constitution and the thirty first day of March 1950 both days inclusive and any expenditure incurred during that period shall be deemed to be duly authorised if the expenditure was specified in a schedule of authorised expenditure authenticated in accordance with the provisions of the Government of India Act, 1935 by the Governor General of the Dominion of India or the Governor of the corresponding Province or is authorised by the Rajpramukh of the State in accordance with such rules as were applicable to the authorisation of expenditure from the revenues of the corresponding Indian State immediately before such commencement.'

['312ड. इस संविधान के प्रारम्भ से तीन वर्ष की कालावधि में इस संविधान के उपबंधों में से किसी के अधीन किये गये निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए भारत या उसके किसी भाग की जनसंख्या का निर्धारण, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी रीति से किया जा सकेगा जैसाकि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्देशित करे।']

डोमिनियन विधानमंडल में तथा प्रांतों और भारतीय राज्यों के विधानमंडलों में लम्बित विधेयकों के बारे में उपबंध।

[312-छ. कोई विधेयक जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के विधानमंडल में अथवा किसी प्रांत या देशी राज्य के विधानमंडल में लम्बित था, किसी ऐसे प्रतिकूल उपबंध के अधीन रह कर जो यथास्थिति संसद अथवा तत्स्थानी राज्य के विधानमंडल द्वारा इस संविधान के अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत किया जाए, यथास्थिति, संसद में अथवा तत्स्थानी राज्य के विधानमंडल में इस प्रकार चालू रखा जा सकेगा मानो कि डोमिनियम विधानमंडल में अथवा उस प्रान्त या देशी राज्य के विधानमंडल में उस विधेयक के बारे में की गई कार्यवाहियां संसद में या तत्स्थानी राज्य के विधानमंडल में की गई थीं।

संविधान के प्रारम्भ और 31 मार्च, 1950 के मध्य सम्पन्न हुआ कार्य।

312-ज. भारत की अथवा किसी राज्य की संचित निधि से ऐसी निधि में धनों के विनियोग से सम्बद्ध इस संविधान के उपबंध इन धनों के संबंध में लागू न होंगे जो धन कि इस संविधान के प्रारम्भ के दिन तथा 1950 की मार्च के 31वें दिन के बीच, इन दोनों दिनों को सम्मिलित करके, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त या उत्थापित या व्यय किये गये हों तथा उस कालावधि में किया गया कोई व्यय, प्राधिकृत व्यय की ऐसी अनुसूची में उल्लिखित है जो भारत डोमिनियन के गवर्नर-जनरल या तत्स्थानी प्रांत के राज्यपाल द्वारा भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों के अनुसार प्रमाणीकृत है अथवा राज्य के राजप्रमुख द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी देशी राज्य के राजस्वों में से व्यय को प्राधिकृत करने के लिए लागू थे, प्राधिकृत कर दिया गया है तो वह व्यय सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया समझा जायेगा।' "]

मैं नहीं समझता कि इन अनुच्छेदों को कष्ट करने के लिए कुछ कहना आवश्यक है।

'नोटिस पेपर' में दो संशोधन हैं, संशोधन संख्या 18 और संशोधन संख्या 19, जिनके द्वारा अनुच्छेद 312-क और अनुच्छेद 312-ख में 'provisional' (अस्थायी)' शब्द हटाने का प्रस्ताव है। जो कुछ हम कर चुके हैं उसके अनुरूप मेरा ये संशोधन स्वीकार करने का विचार है।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 16 में, नये अनुच्छेद 312-क में, 'provisional (अस्थायी)' शब्द, जहां कहीं भी यह प्रयुक्त हुआ है, **निकाल दिया जाए।"**

"कि उपरोक्त संशोधन संख्या 16 में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 312-ख में, 'provisional (अस्थायी)' शब्द, जहां कहीं भी यह प्रयुक्त हुआ हो, **निकाल दिया जाए।"**

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डॉ. अम्बेडकर को ये संशोधन स्वीकार्य हैं। इसके समर्थन में मेरा तर्क यह है कि प्रेजीडेंट या गर्वनर के लिए "अस्थायी" शब्द का प्रयोग करना उनकी गरिमा के लिए अपमानजनक है। मेरा अनुरोध है कि सदन इन्हें स्वीकार करे।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि उपरोक्त संख्या 16 में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 312-ड. में, 'by order directs (आदेश द्वारा निदेशित करे)' **शब्दों के स्थान पर** 'may, with the approval of Parliament (संसद की स्वीकृति से निदेशित करे)' **शब्द रखे जाएं।"**

[श्री एच.वी. कामत]

यदि सदन मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लेता है तो नये अनुच्छेद 312-ङ का पाठ इस प्रकार होगा:

"For the purpose of elections held under any of the provisions of this Constitution during a period of three years from the commencement of this Constitution the population of India or of any part thereof may notwithstanding anything contained in this Constitution be determined in such manner as the President may with the approval of Parliament direct."

['इस संविधान के प्रारम्भ से तीन वर्ष की कालावधि में इस संविधान के उपबंधों में से किसी एक के अधीन किये गये निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए, भारत या उसके किसी भाग की जनसंख्या का निर्धारण, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी रीति से किया जा सकेगा जैसा राष्ट्रपति, संसद की स्वीकृति से, निदेशित करे।"]

यह अनुच्छेद 312-ड. उस नये अनुच्छेद के प्रारूप से कुछ भिन्न है जो हमें एक दिन पूर्व मिला था। कुछ भी हो, मेरा संशोधन इस प्रारूप अनुच्छेद पर लागू होगा। इस प्रस्तावित नये अनुच्छेद से इस संविधान के अन्तर्गत होने वाले निर्वाचनों का प्रश्न उत्पन्न होता है।

मुझे विश्वास है कि सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि निर्वाचनों का विषय एक ऐसा विषय है जिससे संसद का निकट का संबंध है और रहेगा और संसद को इसमें रुचि होगी। जहां तक भारत की या उसके किसी भाग की जनसंख्या के निर्धारण का संबंध है, मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जिससे कि संसद् को इससे बिल्कुल अलग रखा जाए। हमने अभी एक अनुच्छेद स्वीकृत किया है जिसमें संविधान के उद्घाटन और गणराज्य की उद्घोषणा के बारे में विभिन्न विषयों के संबंध में उपबंध किया गया है और उस तारीख से अन्तरिम संसद भी कार्य करना आरम्भ करेगी। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा इस संसद के साथ परामर्श करने के विषय में कोई अन्तर्निहित कठिनाई नहीं है। मैंने ऐसा उपबंध करना नहीं चाहा है कि इन सब विषयों के बारे में संसद् अवश्य उपबंध करे। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि राष्ट्रपति इस संबंध में जो भी उपाय करे, जो भी कार्यवाही करे और जो भी कदम उठाये उन्हें संसद के समक्ष रखा जाए। मेरे संशोधन का केवल इतना ही उद्देश्य है कि राष्ट्रपति इस विषय में जो भी उपाय करे उनके लिए संसद की स्वीकृति अवश्य ली जाये।

जो संशोधन मैंने पेश किया है उसकी वांछनीयता और सुदृढ़ता के बारे में मैं विस्तार से कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे विश्वास है कि इस अनुच्छेद् का जिस विषय से संबंध है उसको देखते हुए यह संशोधन स्वयं ही सदन को स्वीकार्य होगा। मैं नहीं जानता कि भारत की या उसके किसी भाग की जनसंख्या के निर्धारण में राष्ट्रपति अपनी इच्छा से या अपनी मंत्रिपरिषद् के परामर्श से कार्यवाही करे। विधानमंडलों के निर्वाचनों सम्बन्धी यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेहतर यह होगा कि यह सदन इस आशय का उपबंध करे कि राष्ट्रपति द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए कोई भी उपाय संसद के विचारार्थ और स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए इसके समक्ष रखे जाने चाहिए। अन्यथा हम जिस संविधान का निर्माण कर रहे हैं उसकी जड़ों पर ही कुठाराघात करेंगे, जिसमें साधारणतया संसद की सर्वश्रेष्ठता को मान्यता दी गई है। हम प्रभुसत्तासम्पन्न लोकतंत्र गणराज्य के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और मुझे इसका कोई औचित्य नहीं दिखाई देता कि निर्वाचनों जैसे महत्वपूर्ण

विषय में राष्ट्रपति द्वारा संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। मुझे इसमें कोई अन्तर्निहित कठिनाई या कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती कि राष्ट्रपति अपने द्वारा किये जाने वाले उपायों को संसद के समक्ष रखे। सीधा मार्ग यही होगा कि राष्ट्रपति इस विषय में अपने आदेश संसद के समक्ष रखे, उसकी स्वीकृति मांगे और प्राप्त करे।

***अध्यक्षः** इस अनुच्छेद का अन्य कोई संशोधन नहीं है, एक संशोधन है जिसकी सूचना श्री सिधवा ने दी है परन्तु वह वास्तव में अनुच्छेद 311 से सम्बन्धित है जो केन्द्रीय विधानमंडल के बारे में है। जब वह अनुच्छेद लिया जायेगा तो वह संशोधन संगत हो जाएगा, परन्तु वह संशोधन इस अनुच्छेद से संगत नहीं है जो प्रान्तों के विधानमंडलों के संबंध में है। हम इस अनुच्छेद 311 के विचारार्थ लिए जाने तक इसे रोके रखेंगे। क्या कोई अन्य सदस्य इस अनुच्छेद के विषय में कुछ कहना चाहता है?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** अध्यक्ष महोदय, यह बहु-प्रयोजनीय अनुच्छेद है, जिसमें संक्रमण काल की आवश्यकताओं के लिए उपबंध किया गया है। मैं तो केवल अनुच्छेद 312-ड. के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और यहां मैं श्री कामत का समर्थन करता हूं जिन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा जनसंख्या का निर्धारण तो किया जाए परन्तु उस पर संसद की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाए। वास्तव में, मूल अनुच्छेद 312-ड. अधिक विस्तृत था। पुनरीक्षित अनुच्छेद 312-ङ में कहा गया है:

> "इस संविधान के प्रारम्भ से तीन वर्ष की कालावधि में इस संविधान के उपबंधों में से किसी के अधीन किये गये निर्वाचनों के लिए भारत या उसके किसी भाग की जनसंख्या का निर्धारण, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी रीति से किया जा सकेगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्देशित करें।"

मैं समझता हूं कि ऐसा उपबंध करके राष्ट्रपति को अत्यन्त व्यापक शक्ति प्रदान की जा रही है। यही सदन, जैसा कि प्रस्ताव है, संसद का रूप लेने वाला है। यह सदन संविधान पारित कर रहा है और हम संक्रमण काल के लिए उपबंध कर रहे हैं। यदि संक्रमण काल में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके लिए संविधान में कोई उपबंध नहीं है तो यह संविधान सभा नई संसद के रूप में फिर भी रहेगी। यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे संसद को निर्दिष्ट किया जा सकता है और संसद उस प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि बना सकती है।

अतः मैं नहीं समझता कि हमें ऐसी बातों के लिए राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान करके अपने संविधान पर बोझ डालना चाहिए जिनके लिए स्वयं संविधान में उपबंध नहीं किया गया है। यह सम्भव है कि संक्रमण काल में ऐसे प्रश्न उठ खड़े हों जिनके लिए संविधान में कोई उपबंध नहीं हैं, परन्तु हमें यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं देना चाहिए कि वह उनके बारे में निर्णय लें। यही सभा संसद के रूप में विद्यमान होगी। यदि कोई त्रुटि दिखाई देती है तो राष्ट्रपति उसे इस सदन को निर्दिष्ट कर सकता है और यह सदन उस आकस्मिकता के संबंध में व्यवस्था करने वाली विधि बना सकता है। वास्तव में, संसद में, संसद सदस्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित होंगे। कम से कम पांच लाख और अधिक से अधिक साढ़े सात लाख लोगों का इस सदन में एक प्रतिनिधि होगा। अतः जनसंख्या के निर्धारण का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है और यह बात राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति की इच्छा वास्तव में वही होगी जो मंत्रियों का परामर्श होगा।

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

मैं समझता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति को सौंपना सदन के लिए और देश के लिए अनुचित होगा। श्री कामत ने जो संशोधन पेश किया है वह बहुत उचित है और यदि ऐसे अवसर पर राष्ट्रपति कोई कार्यवाही करता है तो उसे संसद के समक्ष अवश्य रखा जाना चाहिए।

महोदय, इसके अतिरिक्त, निर्वाचन-क्षेत्रों के बारे में कोई उपबंध नहीं है। मैं चाहूंगा कि डॉ. अम्बेडकर बताएं कि क्या कोई निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए संविधान में कोई उपबंध है, या क्या वह इस मामले को पूर्णतया निर्वाचन आयोग पर ही छोड़ना चाहते हैं? पहले, अनुच्छेद 312-ख के अन्तर्गत निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाना था। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने वह उपबंध हटा दिया है मुझे मालूम नहीं कि क्या संविधान में इस आशय का उपबंध किया गया है कि परिसीमन आयोग का प्रतिवेदन स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साधारणतया तो उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो आगामी जनवरी में अस्तित्व में जाएगी।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे मित्र श्री कामत और प्रो. सक्सेना ने इस अनुच्छेद 312-ड. का अति गहन अर्थ निकालने का प्रयास किया है। वास्तव में यह अनुच्छेद बहुत सीमित महत्व का है और इसमें जिस विषय पर उपबंध किया गया है वह है किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का निर्धारण। मेरे मित्र भली-भांति जानते हैं कि जो अनुच्छेद हम पारित कर चुके हैं उसके अनुसार निर्वाचन के प्रयोजनार्थ जनसंख्या वही मानी जाएगी जो विगत जनगणना द्वारा निर्धारित हुई हो। यह बात भी मान ली गई है कि भारत के विभाजन को देखते हुए 1941 की जनगणना के आंकड़ों को सही नहीं माना जा सकता और परिणामत: निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन और सीटों का निर्धारण कटे-छंटे प्रान्तों के आधार पर नहीं हो सकता जिनके जनसंख्या आंकड़ों में बहुत परिवर्तन आ चुका है। अत: किसी को तो यह निर्धारित करने की शक्ति देनी ही होगी कि कितनी जनसंख्या मानी जाये और कि क्या जनसंख्या वह मानी जाये जो पिछली जनगणना के अनुसार थी या फिर से गणना कराने पर बैठती है या फिर जैसा मैंने कहा, केवल मतदाताओं की संख्या के आधार पर जनसंख्या का निर्धारण किया जाए। ये सब बातें राष्ट्रपति पर छोड़ दी गई हैं और मैं नहीं समझ सका कि इस प्रकार के मामले में संसद की स्वीकृति से क्या होगा। यह एक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों से उपजा पूर्णतया प्रशासनिक मामला है और मैं समझता हूं कि यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि निर्वाचन शीघ्र हो तो वांछनीय यही है कि इसे राष्ट्रपति पर छोड़ दिया जाए। अत: मैं अपने मित्र श्री कामत का संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

***श्री एच.वी. कामत:** क्या डॉ. अम्बेडकर को सिद्धांत रूप में मेरे संशोधन पर कोई आपत्ति है?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं इसे स्वीकार नहीं करता। इस अनुच्छेद का उद्देश्य बहुत सीमित है। वह जनसंख्या के निर्धारण का प्रश्न है, न कि निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का। निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन संविधान के उपबंधों के अनुसार होगा।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रस्तावित नये अनुच्छेद 312-क में 'provisional (अस्थायी)' शब्द, जहां कहीं भी यह प्रयुक्त हुआ हो, **निकाल दिया जाए।"**

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रस्तावित नये अनुच्छेद 312-ख में 'provisional (अस्थायी)' शब्द, जहां कहीं भी यह प्रयुक्त हुआ है, **निकाल दिया जाए।"**

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रस्तावित नये अनुच्छेद 312-ड. में, 'by order directs (आदेश द्वारा निदेशित करे)' **शब्दों के स्थान पर** 'may, with the approval of Parliament (संसद की स्वीकृति से निदेशित करे)' **शब्द रखे जाएं।"**

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रस्तावित अनुच्छेद 312-क, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 312-क, संशोधित रूप में, संविधान में जोड़ दिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रस्तावित अनुच्छेद 312-ख, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 312-ख, संशोधित रूप में, संविधान में जोड़ दिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रस्तावित अनुच्छेद 312-ग और अनुच्छेद 312-घ संविधान का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 312-ग और अनुच्छेद 312-घ संविधान में जोड़ दिए गए।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रस्तावित अनुच्छेद 312-ड., संशोधित रूप में, संविधान का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 312-ड. संशोधित रूप में, संविधान में जोड़ दिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रस्तावित अनुच्छेद 312-छ और अनुच्छेद 312-ज संविधान का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 312-छ और अनुच्छेद 312-ज संविधान में जोड़ दिए गए।

अनुच्छेद 313

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अनुच्छेद 313 के स्थान पर यह रखा जाए:

Power of the President to remove difficulties.

'313 (1) The President may for the purpose of removing any difficulties particularly in relation to the transition from the provisions of the Government of India Act 1935 to the provisions of this Constitution by order direct that this Constitution shall during such period as may be specified in the order have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as he may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after the first meeting of Parliament duly constituted under Chapter II of Part V of this Constitution.

(2) Every order made under clause (1) of this article shall be laid before each House of Parliament.'

कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति

['313 (1) राष्ट्रपति किन्हीं कठिनाइयों को, विशेषतः भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों से इस संविधान के उपबंधों में संक्रमण के संबंध में कठिनाइयों को, दूर करने के प्रयोजन से आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि यह संविधान उस आदेश में उल्लिखित कालावधि में ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे रूप भेद या जोड़ या लोप के रूप में हों, रह कर जैसे कि वह आवश्यक या इष्टकर समझे, प्रभावी होगा;

परंतु भाग 5 के अध्याय 2 के अधीन सम्यक् रूप से गठित संसद के प्रथम अधिवेशन के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला जाएगा।

(2) इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।' "]

यह भारत सरकार अधिनियम में किए गए उपबंध का पुनः प्रस्तुतीकरण है जो संक्रमण काल के लिए आवश्यक है।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** महोदय मेरे नाम में चार संशोधन हैं, जिनका मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूची 1 (प्रथम सप्ताह) के संशोधन संख्या 23 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 313 में खण्ड (1) में कोष्ठक और अंक '(1)' तथा खण्ड (2) निकाल दिए जाएं।"

"कि सूची 1 (प्रथम सप्ताह) के संशोधन संख्या 23 में प्रस्तावित अनुच्छेद 313 के खण्ड (1) में, 'The President may (राष्ट्रपति)' **शब्द के पश्चात्** 'on being moved by Parliament or any Provincial Legislature in that behalf (इस संबंध में संसद द्वारा या किसी प्रांत के विधान मंडल द्वारा कहे जाने पर)' **शब्द अंतः स्थापित किये जाएं।"**

"कि सूची 1 (प्रथम सप्ताह) के संशोधन संख्या 23 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 313 के खण्ड (1) में 'whether by way of modification, addition or omission (रूप भेद या जोड़ या लोप के रूप में)' **शब्दों के स्थान पर** 'by way of modification (रूपभेद के रूप में)' **शब्द रखे जाएं।"**

"that in amendment No. 23 of List I (First week), in clause 2 of the proposed Article 313, the words 'for its approval' be added at the end."

"कि सूची 1 (प्रथम सप्ताह) के संशोधन संख्या 232 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 313 के खण्ड (2) में, 'प्रत्येक सदन के समक्ष' **शब्दों के पश्चात्** 'उसकी स्वीकृति के लिए' **शब्द जोड़ दिए जाएं।"**

मेरे संशोधनों के स्वरूप से ही यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि इन संशोधनों के पीछे क्या आशय है। अनुच्छेद 313 में प्रस्तावित रूप में इस उपबंध के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां निश्चित ही भारत शासन अधिनियम की धारा 310 द्वारा महामहिम नरेश को प्रदत्त शक्तियों के समान हैं। परंतु उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियां बहुत सीमित थीं और, कुछ भी हो, धारा 310 में छः मास की सीमित अवधि रखी गई थी। यहां ऐसा कोई उपबंध नहीं है और इस बात का सुनिश्चय कदापि नहीं किया जा सकता है कि नई संसद की प्रथम बैठक कब होगी, जब तक कि इस परंतुक "परंतु ऐसा कोई आदेश इस संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अधीन सम्यक् रूप से गठित संसद के प्रथम अधिवेशन के पश्चात् नहीं किया जाएगा" का अर्थ 26 जनवरी, जिस दिन नया संविधान प्रभावी हो जाएगा, के पश्चात् जारी करने वाले इस सदन के अधिवेशन से नहीं है। उस स्थिति में मैं अपने संशोधन पर बल नहीं देना चाहूंगा।

परंतु यदि राष्ट्रपति को प्रदान की जाने वाली ये शक्तियां नयी संसद के गठित हो जाने और कार्य करना आरंभ कर दिये जाने तक इसे प्राप्त रहनी हैं, जैसाकि इस मामले में स्पष्ट प्रतीत होता है, तो मैं समझता हूं कि ये शक्तियां असाधारण रूप से व्यापक हैं और केवल यह सीमा निर्धारित करना पर्याप्त नहीं होगा कि ये आदेश संसद के समक्ष रखे जाएं। चूंकि संविधान के किसी एक उपबंध को वापस लिए जाने के संबंध में जो शक्तियां हमने राष्ट्रपति को प्रदान की हैं, उनके अतिरिक्त यह एक ऐसा उपबंध है जिसे विशेष रूप से कठिनाइयों को दूर करने के लिए समाविष्ट करने का विचार है। परंतु यदि इन उपबंधों का उद्देश्य कठिनाइयों को दूर करना है तो यह कहना क्यों संभव नहीं है कि प्रस्ताव या तो संसद से आए या प्रांतीय विधानमंडलों से आए? यदि ऐसा रक्षोपाय विद्यमान होगा तो न केवल

[डॉ. पी.एस. देशमुख]

अनुकूलन द्वारा रूप भेद करने, अपितु इस संविधान में उपबंधों को जोड़ने या लोप करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। अत: मैंने अपने एक संशोधन में सुझाव दिया है कि ये रूप भेद या परिवर्धन या लोक संसद की सिफारिश पर या किसी प्रांत के विधानमंडल की सिफारिश या सुझाव पर ही किए जाने चाहिएं।

यह स्पष्ट है कि जो संशोधन मैंने पेश किए हैं वे वैकल्पिक स्वरूप के हैं। दो प्रकार के संशोधन हैं। यदि यह व्यवस्था की जा सकती है कि इस संबंध में राष्ट्रपति के आदेश ऐसे विषयों तक सीमित होंगे जिनका सुझाव संसद या प्रांतीय विधानमंडल दें तो अन्य संशोधन आवश्यक नहीं होंगे। परंतु यदि वह स्वीकार्य नहीं हैं तो यह व्यवस्था करना आवश्यक होगा कि ऐसे आदेश संसद के सभा-पटल पर केवल रखे ही न जायें, अपितु उनके लिये संसद का अनुमोदन भी लिया जाये।

मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं उनके संबंध में यदि डॉ. अम्बेडकर कुछ प्रकाश डालें और इस मामले से संबंधित स्थिति को स्पष्ट कर दें तो मैं इन संशोधनों पर जोर नहीं दूंगा। परंतु मेरा निजी विचार यह है कि यद्यपि यह धारा 310 पर आधारित है, पर इस संबंध में कोई समय-सीमा नहीं है और यदि इस उपबंध को इसके प्रस्तुत रूप में रहने दें तो हम एक साधारण से तर्क के आधार पर, जो आसानी से दिया जा सकता है कि किसी अमुक उपबंध से कठिनाइयां पैदा होता हैं या किसी कठिनाई को दूर करने के लिये कोई अन्य उपबंध अपेक्षित है, समूचे संविधान में से कुछ लोप करने अथवा उसमें कुछ जोड़ देने की बहुत विशाल एवं व्यापक शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। 'कठिनाई' शब्द की कोई परिभाषा नहीं है और कोई भी कठिनाई जिसे राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कठिनाई समझते हों इस अनुच्छेद का अनुचित लाभ उठाने का पर्याप्त कारण होगी और उसे किसी न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकेगी। इस प्रकार इसका गलत अर्थ लगाया जा सकता है जो संविधान व देश के लिये अहितकर सिद्ध हो सकता है। अत: इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि इस पर यदि संभव हो तो कुछ अधिक ध्यानपूर्वक विचार किया जाये अथवा कुछ स्पष्टीकरण दिया जाये जिससे मैं यह निर्णय कर सकूं कि मुझे अपने संशोधनों पर जोर देना है या नहीं।

***श्री एच.वी. कामत:** मेरे नाम से एक संशोधन है। संशोधनों की मुद्रित सूची, खंड 2 में संख्या 3320—परंतु मेरा विचार उसको प्रस्तुत करने का नहीं है। तथापि मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात की आशंका है कि प्रारूप समिति ने इस संक्रमण काल की, जिससे हम गुजर रहे हैं, सही-सही व्याख्या नहीं की है। जो संक्रमण काल चल रहा है वह इससे कुछ भिन्न है। प्रारूप समिति ने इस प्रस्तावित अनुच्छेद में जिस संक्रमण काल का उल्लेख किया है वह भारत शासन अधिनियम 1935 और इस संविधान के बीच की अवधि है। कहीं कुछ भूल हुई है, मेरे विचार में प्रारूप समिति से कोई बात रह गयी है और उन्होंने संक्रमण काल की वर्तमान स्थिति का सही-सही विवेचन नहीं किया है। हम पर भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन शासन नहीं चलाया जा रहा है बल्कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा 1935 के उस अधिनियम के अनुकूलित रूप के अधीन चलाया जा रहा है। अत: मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर जिन्होंने संवैधानिक पहलुओं और उनके औचित्य पर सूक्ष्मता से विचार किया है और जो संविधान के पंडित हैं संक्रमण काल की इस समय की गयी व्याख्या से अधिक सही-सही व्याख्या करें तो बेहतर होगा। यह कहना अधिक उचित होगा—"भारत स्वतंत्रता

अधिनियम, 1947 के अधीन अनुकूलित रूप में भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों से इस संविधान के उपबंधों तक संक्रमण।" यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 1935 का मूल अधिनियम, अब प्रवर्तन में नहीं है और अब हम पर अनुकूलित अधिनियम लागू होता है। डॉ. अम्बेडकर के लिये व प्रारूप समिति के लिये इसमें संशोधन करना बेहतर रहेगा—इसमें संशोधन किया जा सकता है—और मुझे आशा है कि हम तीसरे वाचन में इसे भिन्न रूप में पायेंगे। मुझे विश्वास है कि सभा को इस संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने इसकी सूचना नहीं दी है, परंतु जब डॉ. अम्बेडकर ने इसको पेश किया तब मेरे मन में विचार आया कि उनका भी ध्यान, जैसे कहा जाता है कि उत्कृष्टतम व्यक्तियों से भी भूलें हो जाती हैं, संक्रमण काल, जिससे हम गुजर रहे हैं, के विवरण की त्रुटि अथवा अनौचित्य की ओर नहीं गया है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** अध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद का उपबंध भारत शासन अधिनियम, 1935 से नये संविधान तक के संक्रमण काल के दौरान पैदा होने वाली किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिये ही किया गया है। यह सोचा गया है कि संविधान में, जिसका हमने मसौदा तैयार किया है, कोई कमी रह सकती है, अत: संक्रमण काल में राष्ट्रपति को संविधान के संबंध में कुछ उपबंध करने की शक्तियां दी जानी चाहिएं, परंतु मैं महसूस करता हूं कि इस अनुच्छेद में उनको दी जाने वाली शक्तियां बहुत ही व्यापक हैं। इसमें कहा गया है कि "यह संविधान... रूप भेद, जोड़ या लोप के रूप में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे।" इस प्रकार राष्ट्रपति को संविधान में परिवर्तन करने की, संविधान की किन्हीं धाराओं का लोप करने की या उनमें रूप भेद करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वह यह तर्क दे सकता है कि ऐसा करना भारत शासन अधिनियम से नये संविधान तक के संक्रमण काल के लिये आवश्यक है। निस्संदेह इसका अर्थ यह है कि यदि संविधान सभा को ऐसी किसी आकस्मिक स्थिति का पहले से आभास मिल जाता तो वह उसके लिये उपबंध कर देती। मेरा सुझाव यह है कि यदि कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति पैदा हो जाती है जिसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता और उसके लिये डॉ. अम्बेडकर संविधान के भागों का रूप भेद करने, परिवर्धन करने या लोप करने की शक्तियां राष्ट्रपति को देना चाहते हैं तो संसद के रूप में यही इस काम को करने के लिए सक्षम होनी चाहिए। संविधान में पायी जाने वाली किसी कमी को दूर करने के लिये व्यवस्था करने हेतु इसी संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता।

इसलिए मेरे विचार में इस शक्ति का दिया जाना बिल्कुल अनावश्यक है। वास्तव में किया यह जाना चाहिए कि इस संक्रमण काल में यदि किसी कमी अथवा त्रुटि का पता चलता है तो उसको दूर करने की व्यवस्था करने हेतु संसद को शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। संविधान से किसी उपबंध का लोप करने अथवा उसमें जोड़ने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने का दृष्टान्त किसी अन्य संविधान में नहीं मिलता। यह तो एकदम असंगत बात है कि यह शक्ति राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए जबकि यह संविधान सभा राष्ट्र की संसद के रूप में अस्तित्व में रहेगी। इस शक्ति का राष्ट्रपति को दिया जाना पूर्णरूपेण अलोकतंत्रीय है और इसको दिये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो भी कमी या त्रुटि सामने आये उसको दूर करने के लिये व्यवस्था करने हेतु संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिये।

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

यदि डॉ. अम्बेडकर ऐसा करने पर जोर देते हैं तो मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें डॉ. देशमुख का संशोधन संख्या 33 स्वीकार कर लेना चाहिए कि यदि राष्ट्रपति परिवर्धन अथवा लोप द्वारा कोई रूपभेद करना चाहते हैं तो उनका अनुमोदन अथवा निरनुमोदन करने या रूपभेद करने हेतु एक मास या लगभग इतनी अवधि के भीतर संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को इतनी व्यापक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए और सभा को उन्हें यह शक्ति देने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 313 में किये गये उपबंधों की आवश्यकता के संबंध में भारी शंका है। मेरे मित्र डॉ. देशमुख ने, जिन्होंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है, कहा है कि यदि मैं अनुच्छेद 313 में किये गये उपबंधों के सम्बन्ध में संतोषजनक स्पष्टीकरण दे दूं तो वह अपने संशोधन पर जोर नहीं देंगे। मेरे विचार में अनुच्छेद 313 के संबंध में कुछ तथ्यों को स्वीकार करना होगा। पहला तथ्य, जिसे मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे, इस प्रकार है। संक्रमण काल के दौरान कुछ कठिनाइयों का आना अवश्यम्भावी है जिनका प्रारूप समिति अथवा इस सभा के किसी सदस्य द्वारा इस समय पूर्वानुमान लगाया जाना संभव नहीं है और इसलिये उस संबंध में कोई उपबंध नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसी अप्रत्याशित कठिनाइयों के समाधान हेतु कुछ शक्ति किसी के पास अवश्य रहनी चाहिए।

अत: प्रश्न यह है कि किसी प्राधिकारी विशेष के पास ये शक्तियां किस सीमा तक व कितनी अवधि के लिये रहनी चाहिए। मेरे मित्र डॉ. देशमुख ने कहा कि भारत शासन अधिनियम की धारा 310 के अधीन इस शक्ति की अवधि 6 महीने रखी गई है। मेरे विचार से वह गलती पर हैं। यह शक्ति 6 महीने तक उसके बाद रहनी थी जब भाग 3 प्रवर्तन में आ गया हो। हमारा उपबंध बहुत सीमित है। संवैधानिक उपबंधों के माध्यम से कठिनाइयों का समाधान करने हेतु अनुच्छेद 313 द्वारा प्रदत्त उस दिन स्वत: समाप्त हो जायेगी जिस दिन नये उपबंधों के अधीन नई संसद अस्तित्व में आ जायेगी। इसलिए हमारा विचार इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति को दी जाने वाली शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार, संशोधन करने के लिये सक्षम उचित प्राधिकार के अस्तित्व में आ जाने के बाद एक दिन के लिये भी देने का नहीं है। इस अनुच्छेद 313 की एक बात तो यह है।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि कठिनाइयां अवश्य आयेंगी और उनका समाधान भी किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिये शक्ति किसी न किसी के पास होनी चाहिए, विचारणीय प्रश्न वस्तुत: यह है: क्या यह शक्ति राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए अथवा अस्थायी संसद के पास। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्रारूप समिति ने अनुच्छेद 313 में निविष्ट उपबंधों को स्वीकार करना और राष्ट्रपति को शक्ति देना इस कारण वांछनीय समझा कि संक्रमणकालीन संसद का कार्यकाल बहुत थोड़ा है और वह ऐसे अनेक मामलों में व्यस्त रहेगी जिनके लिये संसदीय विधान अपेक्षित है और संक्रमण काल के दौरान संसद के लिये किसी ऐसे मामले से निपटना संभव नहीं होगा जिसका तत्काल समाधान करने की आवश्यकता हो।

मैं ऐसी कठिनाइयों के एक या दो उदाहरण देता हूं जो पैदा हो सकती हैं। हमने संविधान बनाते समय राज्यों और केंद्र के कराधान की शक्तियों में भारी परिवर्तन किये हैं। आगामी 26 जनवरी को जब यह संविधान अस्तित्व में आ जायेगा, विद्यमान भारत शासन अधिनियम के अधीन भारतीय राज्यों को प्राप्त कराधान की शक्तियां

स्वत: समाप्त हो जायेंगी। इसके परिणामस्वरूप संकट की स्थिति पैदा हो जायेगी और इसलिये इस मामले को विनियमित करना होगा। यदि हम इस मामले को अस्थाई संसद द्वारा विनियमित करायेंगे तो मेरे मित्र यह बात मानेंगे कि उसमें बहुत समय लगेगा और संकट की स्थिति जारी रहेगी। इसलिये एक विधेयक प्रस्तुत करने, उसके तीन वाचन कराने, उसे प्रवर समिति को भेजने, उस पर विचार के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने, उसका परिचालन करने आदि की साधारण संसदीय प्रक्रिया अपनाने के बजाय मेरे विचार में, संविधान को कठिनाइयों से बचाने के प्रयोजन से यह शक्ति राष्ट्रपति को दिया जाना वांछनीय होगा जिससे यह शीघ्रता से कार्यवाही कर सके। इसलिये जैसा मैंने कहा है कि गुणदोष के आधार पर यह प्रावधान आवश्यक है, धारा 310 में निविष्ट उपबंधों की तुलना में हमारा प्रस्ताव अत्यन्त सीमित है और मेरा निवेदन यह है कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभा को अनुच्छेद 313 को स्वीकार करने में कोई गंभीर या मूलभूत आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मेरे मित्र श्री कामत द्वारा उठाये गये मुद्दे के संबंध में मुझे यह कहना है कि मेरे विचार में वह यह मानेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 का उल्लेख करने में प्रारूप समिति ने मूल संविधि व अनुकूलित संविधि के बीच कोई अंतर न रखकर कोई गलती नहीं की है, क्योंकि वह देखेंगे कि अनुकूलित रूप में संविधि में इस बात की व्यवस्था है कि उसका संक्षिप्त नाम "भारत शासन अधिनियम, 1935" रहेगा और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब इस अनुच्छेद की व्याख्या की जायेगी तब इसको उसी भावना से समझा जायेगा।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? यदि राष्ट्रपति द्वारा दिये गये आदेश का संसद को अनुमोदन करने के लिए कहा जाये तो क्या इससे कोई हानि होगी?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** परन्तु "अनुमोदन" का क्या अर्थ है? ऐसा कराने में राष्ट्रपति द्वारा की गयी कार्यवाही को रद्द भी किया जा सकता है, जबकि इस उपबंध का उद्देश्य प्रभावी समाधान की व्यवस्था करना है। उस तरीके से राष्ट्रपति का आदेश तुरंत लागू नहीं किया जा सकता, जबकि हम चाहते हैं कि वह तुरंत लागू हो जाये।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधनों को सभा के मतदान के लिये रखूंगा। डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 ।

प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (प्रथम सप्ताह) के संशोधन संख्या 23 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 313 के खंड (2) में 'each House of (के प्रत्येक सदन)' **शब्द निकाल दिये जायें।"**

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** महोदय मुझे अपने संशोधन संख्या 33 को छोड़कर संशोधन संख्या 30, 31 और 32 को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 30, 31 और 32 वापस लिये गये।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"that is amendment No. 23 of List I (First Week) in clause (2) of the proposed Article 313, the Words 'for its approval' be added at the end."

"कि सूची 1 (प्रथम सप्ताह) के संशोधन संख्या 23 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 313 के खंड (2) "प्रत्येक सदन के समक्ष" शब्दों के पश्चात् "उसकी स्वीकृति के लिए" शब्द जोड़ दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** मैं अब डॉ. अम्बेडकर के संशोधन द्वारा संशोधित रूप में, प्रस्तावित अनुच्छेद 313 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है।

"कि प्रस्तावित अनुच्छेद 313, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 313, संशोधित रूप में संविधान में जोड़ दिया गया।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार में कार्य-सूची में कोई अन्य मद नहीं है। अब हम सभा को स्थगित करेंगे।

***माननीय श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार): (सामान्य): हम सोमवार 10 बजे पुन: समवेत होंगे।

***अध्यक्ष:** अब हम सभा को सोमवार, दस बजे तक के लिये स्थगित करते हैं।

तत्पश्चात् सभा सोमवार, 10 अक्तूबर 1949 के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

———————